वन विकास

क्रम सं.	परिपत्र/आदेश संख्या	दिनांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	एफ22(1)95/विकास/ प्रमुवसं/8332 -461	20.7.1995	पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली के तहत कार्य करवाये जाने की संशोधित शर्तें/ नियमावली।	78
2.	प.15(10)वन/95 जयपुर	26.2.1996	गैर राजकीय संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण कराने की योजना।	95
3.	एफ21(19)95-96/आयो/ प्रमुवसं/ 7205	17.7.1997	वृक्षारोपण स्थल पर साइन बोर्ड पर आवश्यक रूप से अंकित की जाने वाली सूचनाएं।	99
4.	एफ22(1)97/विकास/प्रमुवसं/ 11081-210	17.10.1997	पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली के अंतर्गत कार्य सम्पादन में आ रही कठिनाइयों का निराकरण।	100
5.	एफ6(12)एसएस/4/96 पार्ट-II जयपुर, एवं पृष्ठांकन 1(15)95-96/ विकास/ प्रमुवसं/14973-15102	7.4.98 8.6.98	जल ग्रहण कमेटियों के लेखों का अंकेक्षण	101
6.	एफ21(19)95-96/आयो/प्रमुवसं/ तकनीकी/1000-1150	5.5.2001	वृक्षारोपण / बीजारोपण हेतु दिशा-निर्देश	102
7.	एफ( )विकास/ मुवसं/वाविप /2001 /6053	30.8.2001	विकास कार्य कराते समय ध्यान रखने योग्य बिन्दु	105
8.	एफ 21(19) 2000/तक./विकास/प्रमुवसं/8268	15.3.2002	खेजड़ी के वृक्ष को बीमारियों से बचाने के सम्बन्ध में सुझाव।	106
9.	एफ3(10)प्रमुवसं/विकास/सावप्र/ 2001-02/804	16.3.2002	विवादास्पद/राजकीय/पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण नहीं कराए जाने बाबत्	106
10.	एफ21(19)विकास/प्रमुवसं/ 2002/ 7848-7968	8.10.2002	विकास कार्यों में पारदर्शिता।	107
11.	एफ14(जी)2002/वसु/प्रमुवसं/10233	1.11.2002	वन क्षेत्रों में अन्य विभागों/संस्थाओं को कार्य कराने की स्वीकृति	108
12.	एफ7(19)2003/विकास/प्रमुवसं/ 10623-752	1.2.2003	प्लान्टेशन जर्नल कार्यस्थल प्रभारी के पास रहने तथा निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के क्रम में।	109
13.	एफ ( ) 04/विकास/प्रमुवसं/1276	1.6.2004	वृक्षारोपण बोर्ड पर वन खण्ड का नाम अंकित करने बाबत्।	110

क्रम सं.	परिपत्र/आदेश संख्या	दिनांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
14.	एफ21(3)04/विकास/प्रमुवसं/3121	15.7.2004	कृषि वानिकी हेतु पौध वितरण कार्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से कराए जाने बाबत्।	110
15.	एफ15(20)वन/94 जयपुर	20.7.2004	कृषि वानिकी के तहत पौधे तैयारी की प्रचलित दर में वृद्धि बाबत् (वर्ष 2004-05)	111
16.	एफ2(5)2004-05/ लेखा/प्रमुवसं/ 6416	27.7.2004	पीस रेट बिलों का भुगतान	112
17.	एफ19(5)2000-01/क्रय/विकास/ प्रमुवसं/6196	12.10.2004	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से पौधशालाओं में हुए नुकसान के आकलन की सूचना प्रेषित करने के संबंध में।	112
18.	एफ ( ) वसं/मेडिप्लांट/2084-2159	25.10.04	हाइटेक पौधशालाओं में औषधीय पौधे तैयार करने बाबत्।	113
19.	एफ22(1)2004-05 /विकास/प्रमुवसं /584	19.4.2005	पीस रेट बिलों में मजदूरी पर नियंत्रण।	114
20.	एफ( )06/तकनीकी/प्रमुवसं/ 8895	23.6.2006	वृक्षारोपणों का निरीक्षण प्रपत्र	114
21.	एफ21(18)2006-07/आयो/प्रमुवसं/ 6785	31.8.2006	वन विकास कार्यों हेतु स्थाई दिशा-निर्देश	116
22.	एफ16(एनओसी)98/वसु/प्रमुवसं/ 8301	22.9.2006	राजकीय/सामुदायिक गैर वन भूमि पर वन विभाग द्वारा राजकीय व्यय से कराए गए वृक्षारोपण क्षेत्रों का उपयोग गैर वानिकी गतिविधियों हेतु करने की अनुमति।	118
23.	एफ5( )2007/विकास/प्रमुवसं/9242	19.9.2007	राज्य सरकार से इतर संस्थाओं को कोई भी विकास योजना संबंधी प्रस्ताव भेजने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक।	119
24.	एफ21(20)2006-07/आयो/प्रमुवसं / 905-1025	3.5.2008	कृषि वानिकी के अन्तर्गत वित्तीय पौधों की मॉनिटरिंग	120
25.	एफ21(19)2004-05/विकास/प्रमुवसं	-	ऑपरेशन मिलियन नीम।	120
26.	F2(5)04-05/II/Acctts/PCCF/ 10652-840	7.7.2008	Delegation of Financial Powers to the Officers of the Forest Department.	121

वन विकास (नरेगा)

क्रम सं.	परिपत्र/आदेश संख्या	दिनांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
27.	एफ14(जी)2002/वसु/प्रमुवसं/3696	6.5.2006	वन क्षेत्रों में अन्य विभागों/संस्थाओं द्वारा कार्य कराए जाने की शर्तें।	125
28.	एफ4(42)ग्रावि/आरई/एनआरई जी/ ग्रुप-3/06-07/	22.3.07	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों का निरीक्षण	127
29.	एफ1(72)06/विकास/ प्रमुवसं/ 11965	12.12.2007	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों की सूची	131
30.	एफ1(72)06/पार्ट-3/आयो/प्रमुवसं/ 290-98	21.4.2008	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रतिमाह पाक्षिक रिपोर्ट बाबत्।	134

राजस्थान सरकार, वन विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ22(1)95/ विकास/प्रमुवसं/8332-461 दिनांक 20 जुलाई, 1995

विषय :- पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली के तहत कार्य करवाये जाने की संशोधित शर्तें/नियमावली।

सन्दर्भ :- पूर्व प्रचलित आदेश क्रमांक एफ22(7)92/विकास/प्रमुवसं/2948-3063 दिनांक 5.4.94

महोदय,

विभाग में वर्तमान में प्रचलित पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली में आवश्यक सुधार हेतु दिनांक 9.5.95 को मुख्य संरक्षकगणों की आयोजित बैठक में प्राप्त सुझावों के अनुसार पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली के तहत कार्य करवाने की संशोधित एवं विस्तृत शर्तें/नियमावली संलग्न प्रेषित की जा रही है। आप अब इन शर्तों/नियमों के अनुसार पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली पर वन विकास कार्य करवायें तथा यदि इनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो सुझावों सहित इस कार्यालय को अवगत करावें।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली के तहत कार्य करवाने की शर्तें/नियमावली

1. पीस रेट कान्ट्रेक्ट नियम/शर्तों का भली प्रकार अध्ययन/मनन कर ही पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली से कार्य करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपना पंजीकरण/नवीनीकरण करावें। पंजीकृत व्यक्ति/संस्था जिसे ठेकेदार संबोधित किया गया है, को पीस रेट कान्ट्रेक्ट के नियम एवं शर्तों का पूर्णतः भिज्ञ माना जावेगा।
2. पीस रेट कॉन्ट्रेक्ट प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार पंजीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आवेदनकर्ता को पंजीकरण करने/नहीं करने का पूर्ण अधिकार मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को होगा। मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक बिना कारण बताये पंजीकरण हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र को रद्द कर सकेंगे।
3. पंजीकरण एक वित्तीय वर्ष हेतु मान्य होगा। आगामी वर्ष के लिये पंजीकरण/नवीनीकरण एक फरवरी से 30 अप्रैल तक कराया जा सकता है। पंजीकरण शुल्क रुपये 50/- एवं नवीनीकरण शुल्क रुपये 20/- जमा कराने पर किया जा सकेगा।
4. पंजीकृत ठेकेदार मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में वर्णित कार्य स्थलों का कार्य शिड्यूल कीमतन प्राप्त कर कार्य शिड्यूल में वर्णित दरों तक कार्य करने की ऑफर, ऑफर फॉर्म में (जो मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक के कार्यालय में कीमतन मिलेगा) स्याही से भरकर कार्यों की लागत की 2 प्रतिशत अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा जी.ए. 55 की रसीद संख्या के साथ लिफाफे में बन्द कर विज्ञप्ति में वर्णित कार्यालय में आकर पेटी में समयावधि में डाल सकेगा।
5. ऑफर के साथ दो प्रतिशत अमानत राशि नहीं होने पर ऑफर पर विचार नहीं किया जावेगा। असफल ठेकेदारों को अमानत राशि वापस लौटा दी जावेगी। सफल ठेकेदारों की अमानत राशि जमानत राशि के विरुद्ध समायोजित कर ली जावेगी।
6. ठेकेदार से पीस रेट कॉन्ट्रेक्ट से कार्य करने हेतु किसी कार्य विशिष्ट के लिए जी-शिड्यूल अनुसार समस्त आइटम्स के निष्पादन के लिये ही ऑफर आमंत्रित की जावेगी। जी-शिड्यूल के अनुसार समस्त आइटम के लिये दी गई ऑफर ही मान्य होगी। ऑफर के साथ किसी भी प्रकार की सर्वमान्य नहीं होगी तथा सशर्त ऑफर स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। बी.एस.आर. से अधिक दरों पर दी गई ऑफर पर विचार नहीं किया

जावेगा एवं ऐसी ऑफर निरस्त समझी जावेगी। इस प्रकार की ऑफर के निरस्त करने की सूचना ऑफर देने वाले ठेकेदार को देना आवश्यक नहीं होगा।

किसी कार्य विशिष्ठ के लिए जी-शिड्यूल अनुसार समस्त आइटमों के निष्पादन हेतु ठेकेदारों द्वारा दी गई ऑफर अनुसार सम्पूर्ण कार्य की लागत निकाली जाकर कार्य की न्यूनतम ऑफ अनुसार ठेकेदार का चयन किया जावेगा।

7. ठेकेदार उस कार्यालय के अधीन किसी कार्य के लिए निविदा देने का अधिकारी नहीं होगा जिसमें उसका नजदीकी संबंधी क्षेत्रीय वन अधिकारी/सहायक वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक के पद पर कार्यरत हो। यह उन व्यक्तियों के नामों की सूचना भी देगा जो किसी भी हैसियत में उनके साथ कार्य कर रहे हैं या जो तुरन्त पश्चात् उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं एवं जो उस संगठन (विभाग) के किसी राजपत्रित अधिकारी का नजदीकी संबंधी है। ठेकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लंघन करने पर विभाग के ठेकेदारों की अनुमोदित सूची से उसका नाम हटा दिया जावेगा।

टिप्पणी : शब्द ''नजदीकी संबंधी'' से पत्नी, पति, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई एवं बहिनें अभिप्रेत हैं।

8. समान दरों की ऑफरों में से चयन लॉटरी द्वारा किया जावेगा।

9. प्रत्येक कार्य के लिये प्राप्त ऑफरों में चयन की विभागीय कार्यवाही पर ठेकेदार को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। चयनित ऑफर की स्वीकृति दिनांक से 7 दिन में, ठेकेदार को कार्यों की लागत की 5 प्रतिशत जमानत राशि (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) जमा करा कर अनुबन्ध संपादित करना होगा। जमानत राशि ठेकेदार द्वारा नकद अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा कराई जा सकती है अथवा ठेकेदार लिखित आवेदन कर अपनी जमानत राशि उस कार्य को कराये जाने के दौरान बनने वाले रनिंग बिल्स (Running bills) से भी करवा सकता है। इस संबंध में मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक का निर्णय अन्तिम होगा। जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

10. तीस हजार रुपये तक की लागत के कार्य मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा सीमित निविदायें आमंत्रित कर कराये जा सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों के लिये ठेकेदार द्वारा कार्य की लागत की 5 प्रतिशत जमानत राशि जमा कराकर अनुबन्ध स्थापित करने की अवधि मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक द्वारा कार्य की तात्कालिक आवश्यकतानुसार 2 दिवस से 7 दिवस तक, कार्य की निविदा आमंत्रित करते समय, विज्ञप्ति/सूचना में निर्धारित की जा सकती है।

11. अनुबन्ध स्थापित करने की अवधि ठेकेदार द्वारा लिखित आवेदन करने पर विशेष परिस्थितियों में उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा 7 दिवस से बढ़ाकर 10 दिवस तक की जा सकती है।

12. निश्चित अवधि में जमानत राशि जमा करवाकर अनुबन्ध नहीं करने पर ठेकेदार की अमानत राशि मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा जब्त कर ली जावेगी एवं ठेकेदार का पंजीकरण रद्द किया जा सकेगा।

13. कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से पूर्व में किये गये कार्य के आगे कार्य करने से यदि पूर्व का कार्य नपती योग्य नहीं रहता है (ढक जाती है) तो ऐसा आगे का कार्य करवाने से पूर्व ठेकेदार को 7 दिन का नोटिस लिखित में देना होगा, ताकि पूर्व में किये गये कार्य की नपती की जा सकें अन्यथा कार्य की नपती में होने वाला खर्च ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।

14. कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) जारी होने के दिनांक से तीन दिवस के अन्दर ठेकेदार क्षेत्रीय वन अधिकारी से साइट का चार्ज लेकर कार्य प्रारम्भ करेगा। कार्य साइड इन्चार्ज/क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन अधिकारियों के निर्देश एवं क्रमानुसार करना होगा। वन अधिकारी के दिशा-निर्देश नहीं मानना अनुबन्ध का उल्लंघन माना जाकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

15. कार्य निष्पादन हेतु विभाग की ओर से संविदा की शर्तों के अनुसार दी गई समस्त सामग्री का लेखा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। बची हुई सामग्री निर्दिष्ट कर्मचारी को लौटाकर रसीद प्राप्त की जावेगी। ठेकेदार को दी गई सामग्री में से किसी सामग्री की कमी होने पर उससे वसूली योग्य होगी।

16. पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली से कार्य कराते समय ठेकेदार को समय-समय पर प्रचलित समस्त श्रम नियमों की पालना करनी होगी। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत यदि कोई राशि अथवा मुआवजा श्रमिकों को देने की स्थिति आती है तो यह राशि एवं मुआवजा भी ठेकेदार को

देना होगा अगर वह मुआवजा राज्य सरकार को देनी पड़ी तो ऐसी राशि एवं मुआवजा राशि ठेकेदार से वसूली योग्य होगी।

17. कार्य सम्पादन के लिये यंत्र व औजार इत्यादि की व्यवस्था अनुबंधकर्ता (ठेकेदार) द्वारा अपने स्तर पर की जावेगी।

18. अनुबन्धकर्ता-ठेकेदार वर्क ऑर्डर प्राप्त कर स्वयं कार्य करवायेगा। ठेकेदार आवंटित कार्य किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को न तो सबलेट करेगा ना ही कार्य हस्तान्तरित करेगा।

19. ठेकेदार के कार्य संस्था/भागीदारी फर्म होने की स्थिति में संस्था/फर्म के गठन में कोई परिवर्तन करने से पूर्व मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा जहां ठेकेदार कोई एक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त परिवार का व्यावसायिक समुत्थान हो तब भी ठेकेदार को कोई भागीदारी करार करने से पूर्व इसी प्रकार की यथोपरोक्त अनुमति प्राप्त करनी होगी और अनुमति मिलने पर ही, उस संस्था/भागीदारी फर्म को, ठेकेदार द्वारा हाथ में लिये गये कार्य को करने का अधिकार होगा। यथोपरोक्त पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं करने की स्थिति में इसे शर्तों का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जा सकेगी।

20. ठेकेदार जिस ग्राम की सीमा में कार्य करवायेगा, उन ग्रामवासियों को कार्य पर लगाने में प्राथमिकता देगा।

21. विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी एवं अन्य अधिकारियों को ठेकेदार द्वारा कराये जा रहे कार्य अथवा कराये गये कार्य का मुआयना करने, नपती करने एवं गुणवत्ता निर्धारण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

22. निष्पादन के अधीन या निष्पादन की अवस्था में किसी भी कार्य का विभाग के अधिकारियों/साइट इन्चार्ज द्वारा किसी भी समय निरीक्षण, पर्यवेक्षण किया जा सकेगा तथा ठेकेदार सामान्य कार्य समय में किसी भी समय, जिसके लिए मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक अथवा क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा इस आशय की युक्तियुक्त सूचना ठेकेदार को दे दी जाय, आदेशों या अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए स्वयं उपस्थित रहेगा, या उसके द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्रत्यापित उसका कोई उत्तरदायी एजेन्ट उपस्थित रहेगा। ठेकेदार के एजेन्ट को दिए गए आदेश भी उतने ही प्रभावकारी रहेंगे जितने कि ठेकेदार स्वयं को देने पर प्रभावकारी होते।

23. मण्डल वन अधिकारी को मूल तकनीकी अनुमान, डिजाइनों एवं अनुदेशों में निर्धारित सीमा तक कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन करने का अधिकार होगा जो उसे कार्य की प्रगति के दौरान आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हो। मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को मूल तकनीकी अनुमान के कार्यों में एवं ठेकेदार से संपादित अनुबंध में दर्शाए गए कार्यों के प्रत्येक आइटम में 25 प्रतिशत तक परिवर्तन, परिवर्धन, कमी करने का अधिकार होगा। लेकिन ठेकेदार से संपादित अनुबंध की राशि में इस प्रकार किए गये परिवर्तन, परिवर्धन कमी से कुल अनुबन्ध राशि में 10 प्रतिशत से अधिक कमी अथवा बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी। मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक द्वारा इस प्रकार किए गए परिवर्तन की लिखित सूचना ठेकेदार को देनी होगी तथा ठेकेदार ऐसे किसी भी निर्देश के अनुसार कार्य करने को बाध्य होगा।

24. मौके की स्थिति अनुसार यदि ठेकेदार से संपादित अनुबंध एवं वर्क ऑर्डर में निर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त कोई कार्य करवाया जाना आवश्यक हो तो मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक ठेकेदार द्वारा सहमति देने पर अनुबन्ध राशि के 10 प्रतिशत अतिरिक्त तक के कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। इस प्रकार अतिरिक्त आइटम में कार्य बी.एस.आर. की दरों तक स्वीकृत किए जा सकेंगे।

25. अनुबंधकर्ता (ठेकेदार) को निर्धारित कार्य अवधि की प्रथम चौथाई अवधि, आधी अवधि, तीन-चौथाई अवधि एवं पूर्ण अवधि में कुल कार्य का क्रमशः 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य की प्रगति उपरोक्तानुसार नहीं होने पर मण्डल वन अधिकारी को अनुबंध तोड़ने का पूर्ण अधिकार होगा।

26. अगर ठेकेदार कार्यों को तकनीकी विशिष्टताओं अथवा वांछित गुणवत्ताओं के अनुसार संपादित नहीं करता है एवं कार्य को ठीक करने, विशिष्ठताओं के अनुसार पूरा करने की लिखित सूचना मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा दिए जाने के 7 दिवस बाद तक भी कार्यों को ठीक नहीं करता है तो संबंधित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को अनुबन्ध तोड़ने का अधिकार होगा।

27. किसी भी कारण से अनुबन्ध समाप्त/तोड़ने पर ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा।

28. ठेकेदार यदि सम्पूर्ण कार्यों को निर्धारित कार्य अवधि में पूर्ण नहीं करता है अथवा अधूरा छोड़ देता है या अन्य खिलाफवर्जी करता है जिसके

कारण मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा इन नियमों के अंतर्गत अनुबन्ध तोड़ा जाता है तो मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा ठेकेदार पर अवशेष रहे कार्य अनुसार दण्ड भी आरोपित किया जा सकेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक उक्त ठेकेदार को निर्धारित अवधि के लिये भविष्य में ऑफर देने के अयोग्य घोषित कर सकता है अथवा ब्लैक लिस्ट कर सकता है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/विभाग को कार्य/कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान हुई किसी भी वित्तीय हानि की वसूली भी ठेकेदार से की जावेगी। इस प्रकार की समस्त राशि की वसूली ठेकेदार की जमानत राशि से की जावेगी। यदि जमानत राशि पर्याप्त नहीं है तो यह वसूली ठेकेदार को विवादित ठेके अथवा अन्य ठेके के विरुद्ध भविष्य में होने वाले भुगतान से की जावेगी। यदि यह राशि भी अपर्याप्त रहती है तो ठेकेदार बकाया राशि के भुगतान हेतु बाध्य होगा अन्यथा यह राशि पी.डी.आर. नियम के तहत वसूल की जावेगी।

29. अनुबन्ध तोड़ने की स्थिति में कार्य को यथा समय पूर्ण कराने की दृष्टि से शेष कार्य पुनः निविदा आमंत्रित कर मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक किसी अन्य ठेकेदार से अथवा विभागीय तौर पर पूर्ण करवाने के लिये स्वतंत्र होंगे।

30. ठेकेदार द्वारा कराये जा रहे कार्य के निरीक्षण, नपती, गुणवत्ता की जाँच करने का वन अधिकारी/ कर्मचारियों को पूर्ण अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा प्रेषित बिल में अंकित कार्य की नपती व गुणवत्ता का प्रमाणीकरण साइट इंचार्ज वनपाल द्वारा भी किया जावेगा। लेकिन क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा कार्य की नपती कर माप पुस्तिका भरने के पश्चात् माप पुस्तिका में वर्णित कार्य का बिल पर प्रमाणीकरण करने पर ही बिल मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक के पास भुगतान हेतु प्रेषित करने योग्य माना जावेगा। ठेकेदार द्वारा कार्य की नपती करने हेतु लिखित में आवेदन करने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी को आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस में कार्य का माप करना होगा। 7 दिवस में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा कार्य की नपती नहीं किए जाने पर ठेकेदार मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को लिखित में अवगत करवा सकेंगे जिस पर मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा नपती हेतु उचित व्यवस्था की जावेगी। क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा नपती करने से पूर्व ठेकेदार को एक युक्ति युक्त सूचना दी जावेगी। यदि ठेकेदार ऐसी सूचना के बाद माप लेने के समय उपस्थित नहीं रहता या क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा माप लेने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर पाये गए फर्क को अभिलिखित नहीं करता है तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा ली माप ठेकेदार के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगी और ठेकेदार को उसके संबंध में विवाद लाने का अधिकार नहीं होगा।

31. ठेकेदार अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप एवं कार्य की निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुरूप कार्य संपादित करते हुए, कुल कार्य के लगभग 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत कार्य होने पर रनिंग बिल एवं वर्क ऑर्डर के अनुरूप पूर्ण कार्य होने पर अंतिम (फाइनल) बिल पेश करेगा। बिल निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए जावेंगे। छपे हुए बिल प्रपत्र मण्डल कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। परन्तु पाँच हजार रुपये तक की अनुमानित लागत के कार्यों के लिए रनिंग बिल प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे एवं संदाय तब तक नहीं किया जावेगा जब तक वर्क ऑर्डर अनुसार कार्य पूर्ण न हो जावें तथा कार्य पूर्ण होने के प्रमाण पत्र न दे दिये जायें। 30 हजार रुपये तक के कार्य के लिए 50 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण होने पर एक रनिंग बिल प्रस्तुत कर सकेगा। पाँच हजार रुपये से अधिक की अनुमानित लागत के कार्य के मामले में ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर तथा किए गये कार्य के भाग के बारे में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा तस्दीक करने पर ठेकेदार को रनिंग बिल का भुगतान किया जा सकेगा। इस प्रकार संदेय राशि के अनुमोदन एवं पारित करने के संबंध में मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं निश्चय होगा। लेकिन ऐसे समस्त अन्तःकालीन संदायों को अंतिम संदाय के पेटे अग्रिम के रूप में माना जावेगा न कि वास्तविक रूप से किए गए एवं पूर्ण किए गए कार्य के संदाय के प्रति तथा इससे खराब एवं अपूर्ण तथा अकुशलता पूर्वक किए गए कार्य को हटाने, भरने एवं इसको फिर से संपादित करने, सही करने के निर्देश ठेकेदार को देने पर रोक नहीं होगी और रनिंग बिल का भुगतान करने से किसी भी स्थिति में संविदा या उसके किसी भाग के उचित निष्पादित न करने या किसी दावें के प्रादभूत होने की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जावेगा और न ही वह लेखों के अंतिम निपटारे एवं समायोजन के संबंध में या अन्यथा प्रकार से इन शर्तों या उनमें से किसी के अधीन सक्षम अधिकारी की शक्तियों को किसी रूप में समाप्त अवधारित या प्रमाणित करेगा या अन्य किसी तरीके से संविदा में परिवर्तन करेगा या उसे प्रभावित करेगा। ठेकेदार, कार्य को पूर्ण करने के लिए निश्चित की गई तारीख के एक सप्ताह की अवधि के भीतर अंतिम बिल प्रस्तुत करेगा, अन्यथा माप एवं उसके अनुसार किये गये निर्माण कार्य के लिए सदैव सम्पूर्ण राशि के बारे में मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक का प्रमाण पत्र अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

32. कार्य अवधि एवं कार्य पूर्ण होने पर वन कर्मियों को क्षेत्र का चार्ज संभलाने तक की अवधि में ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य, वन क्षेत्र एवं वन

सम्पदा की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार के द्वारा नियोजित श्रमिकों के द्वारा यदि निकटवर्ती वन क्षेत्र में कोई क्षति पहुँचाई जाती है तो इसकी जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी।

33. यदि ठेकेदार की ठेका कार्य अवधि में मृत्यु के कारण संविदा के अधीन किन्हीं अधिकारों का उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो ठेकेदार के विधिक मान्य वारिसों को संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा।

34. सरकार द्वारा श्रमिकों को पारिश्रमिक दर बढ़ाये जाने पर बढ़ी दर के अनुपात में बी.एस.आर. दर बढ़ाकर बढ़ी हुई दर पर ठेकेदार को भुगतान देय होगा लेकिन यह दर उसी कार्य हेतु दी जावेगी जो कार्य ठेकेदार द्वारा बढ़ी दर की तारीख के पश्चात् किया गया है।

35. ठेकेदार द्वारा अन्तिम बिल कार्य पूर्ण होते ही पेश करना होगा प्राकृतिक विपदा की स्थिति में ऐसी (वर्षा इत्यादि) घटना के पश्चात् जो कार्य साइट पर मिलेगा उसी का भुगतान देय होगा।

36. भारतीय आयकर अधिनियम के तहत आयकर चुकाने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। आयकर अधिनियम के तहत स्रोतों पर ही आय कर की कटौती नियमानुसार की जावेगी।

37. राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में दी गई शर्तें अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) को मान्य होगी।

38. कार्य संपादित होने पर अंतिम बिल पारित होने के पश्चात् ठेकेदार द्वारा उस कार्य क्षेत्र को निर्दिष्ट विभागीय अधिकारी/कर्मचारी को संभलाने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 2 माह के अन्दर जमानत राशि ठेकेदार को लौटा दी जावेगी।

39. निविदा, अनुबंध कार्यालय आदेश में दर्शाये गये कार्य की मात्रा, दर, राशि में टंकण, लिपिकीय भूल होने की स्थिति में विभाग की कार्य मात्रा सूची एवं बी.एस.आर. में अंकित दर सही मानी जावेगी।

40. विश्व खाद्य कार्यक्रम (प्रोजेक्ट संख्या 2773.01) के अंतर्गत आने वाले 13 जिलों (उदयपुर, अजमेर, टोंक, बून्दी, बांसवाड़ा, डूँगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा, बारां, राजसमन्द एवं झालावाड़) में कराये जाने वाले कार्य की मजदूरी का भुगतान आंशिक नकद एवं आंशिक खाद्यान्न यूनिट के रूप में होगा जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

(अ) ठेकेदार कार्य के बिल के साथ विश्व खाद्य कार्यक्रम : प्रपत्र-II में श्रमिकों के नाम और उनके द्वारा किये गये कार्यों के दिवसों की संख्या भरकर प्रस्तुत करेंगे। अधिकतम कार्य दिवस पूरे बिल की राशि को न्यूनतम मजदूरी से भाग देने पर आने वाले पूर्णांकों के बराबर होगा।

(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रपत्र-II में दर्शाये गये कार्य दिवसों के अनुसार खाद्यान्न के रूप में दिये जाने वाले भुगतान की राशि की कटौती संबंधित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा की जावेगी। बिलों से काटी गई राशि के बदले ठेकेदारों को श्रमिकों को वितरण हेतु समतुल्य राशि के खाद्यान्न कूपन दिये जावेंगे।

(स) श्रमिकों को कूपन के आधार पर खाद्यान्न विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाये जा रहे वितरण केन्द्रों से प्राप्त करना होगा। वितरण केन्द्रों की सूचना निविदा देते समय सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी।

(द) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत भुगतान के रूप में वितरित कूपन के आधार पर श्रमिकों को प्रति कूपन पर निदेशक, विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार खाद्य सामग्री देय होगी जिसकी जानकारी निविदा देते समय सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(क) प्रति कूपन काटी जाने वाली राशि निदेशक, विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा तय की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी की दर परिवर्तन होने पर प्रति कूपन दी जाने वाली राशि की दर निदेशक, विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा आदेश जारी कर परिवर्तित की जा सकेगी। जिसमें आपत्ति उठाने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।

(ख) खाद्यान्न वितरण के संबंध में समय समय पर निदेशक, विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना ठेकेदार द्वारा की जावेगी।

(ग) जाँच करने पर यदि मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को यह प्रकट हुआ कि श्रमिकों के लिए उठाया गया खाद्यान्न

श्रमिकों को वितरित नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में खाद्यान्न की बाजार भाव से कीमत एवं खाद्यान्न के विरुद्ध काटी गई राशि का अन्तर ठेकेदार से वसूली योग्य होगा। वसूली योग्य राशि के लिये मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) ठेकेदार के विरुद्ध विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रपत्र-II, श्रमिकों को कूपन वितरित कर श्रमिकों के हस्ताक्षर के साथ मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। संबंधित अधिकारी के कार्यालय से शीटें विश्व खाद्य कार्यक्रम कार्यालय को प्रस्तुत की जावेंगी। जिसके आधार पर श्रमिकों को खाद्यान्न का भुगतान किया जावेगा। श्रमिकों को खाद्यान्न वितरण उपरांत हस्ताक्षरयुक्त प्रपत्र-II ठेकेदार द्वारा संबंधित मण्डल में जमा करवाने उपरांत ही ठेका पूर्ण माना जा सकेगा।

41. अनुबंधों के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद की स्थिति में प्रकरण का निपटारा उसी न्यायालय में कराया जावेगा जिसका क्षेत्राधिकार अनुबन्ध करने के स्थान पर है।

नोट :- उपरोक्त नियमावली में मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक से उप वन संरक्षक अथवा उसके समकक्ष अधिकारी यथा मण्डल वन अधिकारी, उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, भू-संरक्षण अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, इत्यादि अभिप्रेत हैं।

प्रपत्र-1

पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी/

क्षेत्रीय निदेशक/भू-संरक्षण अधिकारी,

.....

प्रमाणित
फोटो

विषय :- पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार पंजीकृत करने बाबत्।

आपके वन मण्डल में पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली में कराये जाने वाले कार्यों को, इस प्रणाली के नियमों एवं शर्तों (जिनका अध्ययन मैंने कर लिया है) के अंतर्गत ''स्थल विशिष्ठ की बी.एस.आर. लागत तक पर करने हेतु संविदा करने का मैं इच्छुक हूँ। मेरा पूर्ण पता निम्न अनुसार है :-

1. नाम ..... पिता का नाम .....

   जाति ..... उम्र ..... ग्राम .....

   पोस्ट ..... तहसील ..... जिला ..... पिनकोड .....

2. आयकर पंजीकरण संख्या .....

प्रार्थना पत्र के साथ राशन कार्ड की छाया प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, सम्पत्ति हैसियत प्रमाण पत्र, आयकर पंजीकरण नम्बर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। कृपया पंजीकरण फीस जमा करने के आदेश प्रसारित करते हुए पंजीकृत कर पंजीकरण जारी करने की कृपा करें।

हस्ताक्षर प्रार्थी

(नाम) .....

संलग्न :-

1. राशनकार्ड की छाया प्रति
2. पासपोर्ट साइज फोटो दो
3. हैसियत प्रमाण पत्र

मण्डल कार्यालय के उपयोग हेतु

श्री ..... का प्रार्थना पत्र दिनांक ..... की जाँच करने पर इन्हें पंजीकरण योग्य/अयोग्य पाया। अतः पंजीकरण फीस 50/- रुपये जमा करें/नहीं करें।

मण्डल वन अधिकारी

पंजीकरण फीस रुपये 50/- रसीद नम्बर ..... दिनांक ..... द्वारा जमा की गयी।

कैशियर

ठेकेदार पंजीकरण पत्र जारी हो।

मण्डल वन अधिकारी

प्रपत्र-2

कार्यालय उप वन संरक्षक .....

1. कार्यस्थल का नाम ..... अग्रिम कार्य .....
2. ग्राम ..... विकास कार्यों की शिड्यूल (अग्रिम कार्य) वर्ष .....
3. ग्राम पंचायत ..... रेंज .....
4. पंचायत समिति .....
5. करवाये जाने वाले कार्य का विवरण

क्र. सं	कार्य की प्रकृति	कार्य की माप एवं तकनीकी विशेषताएँ	मृदा की किस्म	कार्य की मात्रा	निर्धारित दर (बी. एस.आर.)	अनुमानित लागत	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र-3

अनुबन्ध प्रपत्र

मैं ..... पुत्र .....
निवासी ..... वन विभाग के कार्यस्थल .....
में नीचे उल्लेखित कार्य वर्णित दरों, समय अवधि एवं शर्तों पर करने के लिये उप वन संरक्षक /मण्डल वन अधिकारी ..... से अनुबन्ध करता हूँ।

क्र. सं	कार्य की प्रकृति मय विशिष्टताओं के	भूमि की किस्म	कार्य का माप	कार्य की मात्रा	निर्धारित दर	अनुमानित लागत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8

शर्तें :-

1. कार्य के संपादन के लिए औजार अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) द्वारा उपलब्ध करावे जावेंगे। कार्य के लिये आवश्यक सामग्री जैसे फैन्सिंग तार, खाद, बीज इत्यादि तथा खड्डों को चिन्हित करने का कार्य विभाग करवायेगा। मैंने जमानत बतौर राशि जमा करा दी है।
2. अनुबन्ध की अवधि वर्क ऑर्डर (कार्य आदेश) में दी गई कार्य की अवधि के अनुरूप ही होगी।
3. सामान्य वित्तीय लेखा नियम में दी गई शर्तें अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) को मान्य होगी।
4. अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण संपादित नहीं करने/भली प्रकार सम्पादित नहीं करने पर उनके द्वारा पूर्व में किये गये कार्य का देय भुगतान उप वन संरक्षक/ मण्डल वन अधिकारी द्वारा रोका जा सकेगा तथा जमा की गई जमानत राशि जब्त करने का अधिकार सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को होगा।
5. राज्य सरकार के द्वारा श्रमिक दरों में अभिवृद्धि किये जाने पर वी.एस.आर. में उसी अनुपात में वृद्धि कर श्रमिक दर बढ़ाने की तारीख से बढ़ी हुई दर पर भुगतान देय होगा।
6. अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) जिस ग्राम की सीमा में कार्य लेगा, उसके ग्रामवासियों को कार्य पर लगाने में प्राथमिकता देगा।
7. विज्ञप्ति में दी गई शर्तें इस अनुबन्ध का भाग होंगी।

हस्ताक्षर — हस्ताक्षर/-

उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी — अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार)

प्रपत्र-4

ठेकेदार पंजीकरण/नवीनीकरण रजिस्टर

अवधि ..... से ..... तक

क्र. सं.	नाम ठेकेदार मय वल्दियत एवं पूर्ण पता	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण राशि रसीद संख्या एवं दिनांक	नवीनीकरण		हस्ताक्षर अधिकारी (मण्डल वन अधिकारी)
				नवीनीकरण राशि रसीद संख्या एवं दिनांक	नवीनीकरण दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र-5

कार्यालय मण्डल वन अधिकारी .....

क्रमांक : दिनांक .....

पीस रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर हेतु विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वन मण्डल ..... में पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली से वर्ष 199 ..... 199..... में निम्न अनुसार वर्णित कार्य करवाये जाने हैं। जिनकी विस्तृत जानकारी इस कार्यालय से कार्य दिवस में कार्य विवरण शिड्यूल प्राप्त कर की जा सकती है :-

क्र.सं.	नाम कार्य	रेंज	समीपस्थ राजस्व गाँव	कार्य पूर्ण करने की अवधि

पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली के नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने की ऑफर देने वाले पंजीकृत ठेकेदार ऑफर प्रपत्र दिनांक ..... को 11 बजे तक मण्डल कार्यालय से कीमतन प्राप्त कर उसी दिन दोपहर 1 बजे तक मण्डल कार्यालय ..... में 2 प्रतिशत अमानत राशि की डी.डी. सहित सील बन्द लिफाफे में दे सकते हैं जो दिनांक ..... को ..... बजे उपस्थित ऑफरकर्ताओं के साथ खोले जायेंगे। अमानत राशि नहीं होने तथा अपूर्ण ऑफर पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

मण्डल वन अधिकारी

प्रपत्र-6

राजस्थान सरकार

वन विभाग

(ऑफर फॉर्म) (केवल एक कार्य हेतु)

कार्यालय मण्डल वन अधिकारी .....

ऑफर फॉर्म क्रमांक ..... दिनांक .....

हस्ताक्षर जारी करने वाले अधिकारी

ऑफर

1. मैं/हम ..... (नाम) आत्मज ..... ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... पंजीकरण संख्या मय दिनांक ..... एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने पीस रेट कॉन्ट्रेक्ट प्रणाली के नियमों एवं शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उसकी पालना करने का करार करता हूँ/करते हैं।
2. मैं/हम राजस्थान वन विभाग की पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली से कार्य कराने के लिए ठेकेदार पंजीकृत हैं/हूँ। मेरा/हमारा पंजीकरण नम्बर ..... दिनांक ..... है जिसका दिनांक ..... को नवीनीकरण

हो गया है।

3. पीस रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर हेतु विज्ञप्ति की अनुपालना में प्रणाली के अनुसार कार्य की कुल लागत का 2 प्रतिशत ..... रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर ..... दिनांक ..... संलग्न है।

4. पीस रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर विज्ञप्ति दिनांक में प्रकाशित कार्यों में से कार्य (कार्य का नाम) ..... क्षेत्रफल ..... है, कार्य की कुल लागत ..... रुपये कार्य पूर्ण करने की अवधि ..... से ..... को पीस रेट कान्ट्रेक्ट नियमों में शर्तों से अनुबंधित होकर निम्नानुसार कार्य (क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर) करने का ऑफर देता हूँ/देते हैं:-

क्र.सं.	नाम कार्यस्थल	प्रस्तावित कार्य	मात्रा	प्रस्तावित दर
1	2	3	4	5

5. मैं अपनी उपरोक्त ऑफर पर पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली के नियमों एवं शर्तों के तहत तब तक बाध्य रहूँगा जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा ऑफर के अस्वीकार के आदेश नहीं हो जाते।

6. मैं एतद् द्वारा यह भी स्वीकार करता हूँ कि मेरी ऑफर स्वीकृति के दिनांक से 7 दिन में 5 प्रतिशत जमानत राशि (2 प्रतिशत अमानत को जोड़ते हुए) जमा कराकर मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक से अनुबन्ध कर लूँगा अन्यथा 2 प्रतिशत अमानत राशि जप्त करने एवं अवशेष राशि वसूल करने का मण्डल वन अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक स्थान हस्ताक्षर ऑफरकर्ता

प्रपत्र-7

राजस्थान सरकार
वन विभाग
(भुगतान - बिल)
(प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्तिम)

बिल नम्बर ..... दिनांक .....

1. कार्यस्थल का नाम .....
   क्षेत्रफल ..... वर्ष .....
2. ठेकेदार का नाम ..... पिता का नाम .....
3. पंजीकरण नम्बर ..... अनुबन्ध नम्बर ..... मेरे द्वारा दिनांक ..... से ..... तक निम्न अनुसार कार्य करवाया है जिसका मानचित्र संलग्न है :-

क्र.सं.	करवाये गये कार्य प्रकार	परिमाप	मात्रा	दर	कुल भुगतान योग्य राशि
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर ठेकेदार

प्रमाण पत्र (क)

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्य के लिए पूर्व में किसी प्रकार का बिल बनाकर एवं अन्यथा भुगतान नहीं उठाया गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि बिल में चार्ज की गई दर, कार्य के लिए किये गये अनुबन्ध नम्बर ..... के अनुसार हैं तथा निर्धारित विभागीय मापदण्ड के अनुसार हैं।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अवधि ..... से ..... तक कराया गया कार्य दिनांक ..... को मैंने स्वयं ने निरीक्षण कर लिया है एवं शत-प्रतिशत नपती कर ली है जो माप पुस्तिका नम्बर ..... के पेज नम्बर ..... पर दर्ज है जिसके अनुसार इस कार्य का भुगतान किया जा सकता है।
4. प्रमाणित किया जाता है कि बिल की अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा कोई खिलाफवर्जी नहीं की है, न ही कार्य और क्षेत्र की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई है।

इन्चार्ज कार्यस्थल क्षेत्रीय वन अधिकारी

प्रमाण पत्र (ख)

1. मेरे द्वारा कार्य का टेस्ट चैकिंग किया गया, कार्य सही पाया/नहीं पाया। (टेस्ट चैकिंग नहीं किया गया तो कारण अंकित करें)

.....

.....

सहायक वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल पर दर्शाया गया कार्य एवं राशि अनुबन्ध के अनुरूप है। इस बिल सहित अब तक चार्ज किये गये कार्य एवं राशि, कार्य एवं बजट नियंत्रण रजिस्टर के अनुसार बजट मद ..... में समायोजित करने योग्य है।

ऑडिटर लेखाकार

भुगतान आदेश

बिल नम्बर ..... रुपये ..... पैसे ..... भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

जिसमें से रुपये ..... पैसे ..... का खाद्यान्न दिया जावे।

लेखाकार मण्डल वन अधिकारी

भुगतान प्राप्ति रसीद

उपरोक्त बिल का भुगतान रुपये ..... पैसे ..... द्वारा चैक नम्बर ..... दिनांक ..... प्राप्त कर लिया है।

हस्ताक्षर ठेकेदार मण्डल वन अधिकारी

वन विभाग में पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली के तहत विकास कार्य सम्पादन के लिये विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये ''दिशा-निर्देश''

1. राज्य सरकार ने विभाग के वृत्त स्तर के अधिकारियों (वन संरक्षकों) को उनके वृत्त के लिये बी.एस.आर. (बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट्स) प्रचलित करने हेतु अधिकृत किया हुआ है। इन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में विभिन्न वृत्तों में बी.एस.आर. निर्धारित की हुई है तथा विकास कार्यों के संपादन में कार्यों पर आ रही लागत का इसी से प्रबोधन किया जाता है। पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली में मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक इन निर्धारित दरों तक कार्य करने हेतु उनके मण्डल में पंजीकृत निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को खुला प्रस्ताव (ओपन ऑफर) देकर उक्त ऑफर में वर्णित विशिष्ठताओं के कार्य निर्धारित अवधि में न्यूनतम प्रस्तावित दर पर करवायेंगे।
2. उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु समाचार पत्रों एवं स्थानीय प्रचार माध्यमों के जरिये आम लोगों की जानकारी में लायेंगे कि उनके मण्डल में विभाग की बी.एस.आर. दरों तक ओपन ऑफर के जरिये कार्य कराने की पद्धति चल रही है। कार्य मण्डल में पंजीकृत व्यक्तियों/संस्थाओं को ही दिया जावेगा। अतः जो निजी व्यक्ति अथवा संस्था मण्डल में विभिन्न कार्य का संपादन करने की इच्छा रखते हों वे अपना पंजीकरण करवा लें। पंजीकरण एक वित्तीय वर्ष के लिये मान्य होगा तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिये इसका नवीनीकरण 1 फरवरी से 30 अप्रैल के मध्य कराना होगा। पंजीकरण शुल्क 50/- रुपये तथा नवीनीकरण शुल्क 20/- रुपये निर्धारित है। पंजीकरण हेतु प्रपत्र 1 में आवेदन करना होगा।
3. आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड की छाया प्रति अथवा फोटो पहचान पत्र की प्रति, पासपोर्ट साइज प्रमाणित फोटो व स्वयं की सम्पत्ति का विवरण, स्थायी पता तथा तहसीलदार अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा दिया गया हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

   पंजीकरण करवाने के लिये आवेदन करने वाली यदि कोई संस्था है तो रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की प्रति एवं संस्था के संविधान की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

आवेदन, पंजीकरण योग्य पाये जाने पर पंजीकरण शुल्क 50/- रुपये जमा करायेगा एवं पंजीकरण की तारीख से ही पंजीकृत ठेकेदार माना जावेगा।

4. पंजीकरण हेतु मण्डल कार्यालय में पंजीकरण रजिस्टर (प्रपत्र-II) संधारित किया जावेगा।

5. पंजीकरण प्रार्थना पत्र स्वीकार/अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को होगा।

6. सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा कार्य क्षेत्र का सर्वे कार्य करवाया जावेगा एवं सर्वे के साथ-साथ कार्य क्षेत्र की सीमायें, पिलर/खड्डा/निशानात, जैसे भी मौके की स्थिति हो, लगाकर चिन्हित की जावेगी। उक्त कार्य परिपूर्ण अन्य व्यय बिल (contingent bill) के माध्यम से कराया जा सकता है।

7. क्षेत्रीय वन अधिकारी उनके क्षेत्राधिकार में पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली से कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य का प्राक्कलन एवं तकनीकी नोट बनायेंगे। तकनीकी नोट में कार्यस्थल की भौगोलिक स्थिति, सर्वे मानचित्र, ट्रीटमेंट प्लान, मॉडल, सर्वे एवं लगाये जाने वाले पौधों का विवरण होगा। प्राक्कलन एवं तकनीकी नोट प्रत्येक कार्यस्थल का संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा तैयार किया जाकर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा।

8. प्राक्कलन बनाने हेतु जिन कार्यस्थलों पर खाई फैन्सिंग की जानी है, उन कार्यस्थलों पर अंकित सीमा के सहारे (1.5 + 0.9) / 2 × 1.2 मीटर की 2 मीटर लम्बी खाई के खड्डे प्रत्येक 500 मीटर या मिट्टी की किस्म बदलने के स्थान पर खुदवाये जावेंगे, इसके अतिरिक्त चयनित क्षेत्र में खड्डे खुदवाकर पूर्ण क्षेत्र की मिट्टी की किस्म पता लगाकर बी.एस.आर. के अनुसार प्राक्कलन तैयार किये जावेंगे। इस प्रकार तैयार प्राक्कलन के दो भाग होंगे। प्रथम भाग जो कार्य विभाग द्वारा करवाये जावेंगे जैसे सर्वे, माइक्रोप्लान बनाना, सामान्य क्रय करना, सीमांकन एवं सर्वेक्षण इत्यादि ''अ'' भाग कहलायेगा तथा दूसरा भाग ''ब'' ठेकेदार द्वारा कराये जाने वाले कार्यों का विवरण होगा। इससे स्पष्ट होगा कि कार्य की पूर्ण लागत के कितने मूल्य का कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जाना है। यह मूल्य बहुत ही सावधानी एवं सतर्कता बरतते हुए निकाला जावेगा। क्योंकि इसकी लागत मूल्य को आधार मानते हुए ठेकेदार को कार्य आवंटित किया जा सकेगा। उक्त कार्य परिपूर्ण अन्य व्यय बिल (contingent bill) के माध्यम से कराया जा सकता है।

9. कार्य के ट्रीटमेंट प्लान में वृक्षारोपण की सीमाएं, सीमाओं के अन्दर किस्म भूमि (विभिन्न प्रकार के रंग से) वृक्षारोपण क्षेत्र में किस स्थान पर ट्रेंच खोदनी है, किस स्थान पर खड्डे खोदने हैं, चैक डेम बनाने हैं या अन्य कार्य करने हैं - दर्शाया जावेगा।

10. क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रत्येक विकास कार्य का कार्य शिड्यूल निर्धारित प्रपत्र के अनुसार तैयार करेंगे। कार्य शिड्यूल का प्रपत्र संलग्न है।

11. कार्य शिड्यूल में अंकित राशि अनुसार समाचार पत्रों में सहमति/ऑफर प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र के अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जावेगी। विज्ञप्ति की प्रति, अतिरिक्त सूचना स्वरूप, डाक द्वारा प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार को भेजी जावेगी। इसके अतिरिक्त अन्य प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। विज्ञप्ति में मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का समावेश किया जावेगा।

    (1) कार्यस्थल का नाम एवं स्थिति जहाँ कार्य करवाने हैं।

    (2) कार्यों की विशिष्टताएँ एवं तादाद् जो करवानी हैं। यह जानकारी क्षेत्र के तकनीकी अनुमान एवं ट्रीटमेंट प्लान पर आधारित होगी।

    (3) प्रत्येक कार्य हेतु स्थानीय वी.एस.आर. में निर्धारित दर तक।

    (4) निर्धारित अवधि जिसमें कार्य पूर्ण करना है।

    (5) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अन्य शर्तें यदि कोई हों।

    (6) नियमानुसार आयकर/बिक्री कर एवं अन्य कर यदि देय होते हैं तो वे चयनित व्यक्ति/ संस्था को देना होगा।

12. पीस रेट कान्ट्रेक्ट से कार्य करने हेतु ऑफर देने के लिए पंजीकृत ठेकेदार निर्धारित ऑफर प्रपत्र कार्यालय मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/ क्षेत्रीय वन अधिकारी से कीमतन प्राप्त कर सकेंगे जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अंतर्गत निम्नानुसार होगी :-

	अनुमानित लागत	आवेदन शुल्क
(1)	रुपये 30001 से रुपये एक लाख तक	रुपये 50/-
(2)	रुपये एक लाख से अधिक	रुपये 100/-

ऑफर देने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों को ऑफर प्रपत्र पूर्ण रूप से स्याही से भरकर अपने ऑफर के साथ कुल कार्य की 2 प्रतिशत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद अमानत के रूप में राशि जमा कराके (जी.ए. 55 का क्रमांक दिनांक अंकित कर) संलग्न करना होगा। बिना अमानत राशि के ऑफर पर विचार नहीं किया जावेगा। अपूर्ण एवं सशर्त ऑफरों पर भी विचार नहीं करते हुए अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

13. ऑफर मय अमानत राशि बन्द लिफाफे में मण्डल कार्यालय में रखे टेण्डर बॉक्स में विज्ञप्ति अनुरूप स्थान, समय एवं दिनांक तक डाले जा सकते हैं, जो विज्ञप्ति में दिए गए समय एवं दिनांक को मण्डल वन अधिकारी कार्यालय में खोले जावेंगे। किसी भी ऑफर को चयन के अयोग्य घोषित करने का पूर्ण अधिकार मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को होगा।

14. समान दरों की ऑफरों में से चयन लॉटरी द्वारा किया जावेगा।

15. पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली से कार्य कराने हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा के माध्यम से प्राप्त पूर्ण ऑफरों को स्वीकृत करने की निम्न शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं :-

(1)	उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी स्तर के अधिकारी	3.00 लाख रुपये प्रति प्रकरण
(2)	वन संरक्षक	5.00 लाख रुपये प्रति प्रकरण
(3)	मुख्य वन संरक्षक	सम्पूर्ण शक्तियाँ

उपरोक्त शक्तियों के अनुसार चयनित ऑफर संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जावेगी।

16. चयनित व्यक्ति/संस्था जिसको कि आगे ठेकेदार सम्बोधित किया गया है। ऑफर स्वीकृति के दिनांक से 7 दिवस की अवधि में कुल कार्य राशि का 5 प्रतिशत (2 प्रतिशत अमानत राशि सम्मिलित करते हुए) जमानत राशि नियमानुसार जमा कराकर मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक से निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध करेगा। 7 दिन में अनुबन्ध नहीं करने पर ठेकेदार की पूर्व में जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। यदि ठेकेदार चाहे तो वह लिखित आवेदन कर उक्त जमानत राशि भविष्य में उक्त कार्य के करने पर बनने वाले रनिंग बिल से भी कटवा सकता है।

    चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबन्ध नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार का पंजीकरण रद्द कर दिया जावेगा तथा उसे ब्लैक लिस्ट (Black list) भी किया जा सकता है। अन्य ठेकेदार/विभाग द्वारा कार्य पूर्ण कराने पर कार्य पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की राशि अनुबन्ध नहीं करने वाले ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

17. ठेकेदार अनुबन्ध करने के पश्चात् मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/भू-संरक्षण अधिकारी से कार्य आदेश (वर्क-ऑर्डर) प्राप्त कर 3 दिवस में कार्य प्रारम्भ करेगा। कार्य सम्पूर्ण करने की अवधि की गणना वर्क ऑर्डर जारी करने के 3 दिन पश्चात् प्रारम्भ होगी।

18. कार्य आदेश प्राप्त कर ठेकेदार संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी से सम्पर्क कर कार्य प्रारम्भ करेगा। ठेकेदार कार्य क्षेत्र एवं उसमें उपलब्ध वन सम्पदा का भी जिम्मेदार होगा। ठेकेदार वनपाल/कार्य प्रभारी से कार्य की निशानदेही लेकर निर्देशानुसार किस्म, कार्य, दिशा एवं क्रम में वर्क ऑर्डर के अनुरूप कार्य करेगा। ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि में कार्य स्थल या उसके समीप राजकीय वन क्षेत्र में कोई अपराध किया जाता है तो वह राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों के द्वारा भी निकटस्थ वन क्षेत्र को कोई क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी।

19. ठेकेदार अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप एवं कार्य की निर्धारित प्रणाली एवं दिये गये क्रम के अनुरूप कार्य संपादित करते हुए कुल कार्य लगभग 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत कार्य होने पर रनिंग बिल एवं वर्क ऑर्डर के अनुरूप पूर्ण कार्य होने पर अंतिम (फाइनल) बिल पेश करेगा। बिल निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जावेंगे। बिल प्रपत्र मण्डल कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। परन्तु पाँच हजार रुपये तक की अनुमानित लागत के कार्यों के लिए रनिंग बिल प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे एवं संदाय तब तक नहीं किया जावेगा जब तक कि वर्क ऑर्डर

अनुसार कार्य पूर्ण न हो जाये तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र न दे दिया जावे। 30 हजार रुपये तक के कार्य के लिये 50 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण होने पर एक रनिंग बिल प्रस्तुत कर सकेगा।

पाँच हजार रुपये से अधिक की अनुमानित लागत के कार्य के मामले में ठेकेदार द्वारा उसके लिये बिल प्रस्तुत करने पर तथा किये गये कार्य के भाग के बारे में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा तस्दीक करने पर ठेकेदार को रनिंग बिल का भुगतान किया जा सकेगा। इस प्रकार संदेय राशि के अनुमोदन एवं पारित करने के संबंध में मण्डल वन अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं निश्चय होगा। लेकिन ऐसे समस्त अन्तःकालीन संदायों को अंतिम संदाय के पेटे अग्रिम के रूप में माना जावेगा न कि वास्तविक रूप से किये गये एवं पूर्ण किये गये कार्य के लिये संदाय के प्रति तथा इससे बुरे, खराब एवं अपूर्ण तथा अकुशलतापूर्वक पूर्ण किये गये कार्य को हटाने, भरने एवं इसको फिर से संपादित करने, सही करने के निर्देश ठेकेदार को देने पर रोक, नहीं होगी और रनिंग बिल का भुगतान करने से किसी भी स्थिति में संविदा या उसके किसी भाग के उचित निष्पादित न करने या किसी दावे के प्रादभूत होने की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जावेगा और न ही वह लेखों के अंतिम निपटारे एवं समायोजन के संबंध में या अन्यथा प्रकार से इन शर्तों या उनमें से किसी के अधीन सक्षम अधिकारी की शक्तियों को किसी रूप में समाप्त, अवधारित या प्रभावित करेगा या किसी अन्य तरीके से संविदा में परिवर्तन करेगा या उसे प्रभावित करेगा। ठेकेदार, कार्य को पूर्ण करने के लिये निश्चित की गई तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर अंतिम बिल प्रस्तुत करेगा, अन्यथा माप एवं उसके अनुसार किये गये निर्माण कार्य के लिये संदेय सम्पूर्ण राशि के बारे में मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक का प्रमाण पत्र अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

20. ठेकेदार द्वारा कराये जा रहे कार्य के निरीक्षण, नपती, गुणवत्ता की जाँच करने का वन अधिकारी/ कर्मचारियों को पूर्ण अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा प्रेषित बिल में अंकित कार्य की नपती व गुणवत्ता का प्रमाणीकरण साइट इन्चार्ज वनपाल द्वारा भी किया जावेगा, लेकिन क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा कार्य की नपती कर माप पुस्तिका भरने के पश्चात् माप पुस्तिका में वर्णित कार्य का बिल पर प्रमाणीकरण करने पर ही बिल मण्डल वन अधिकारी के पास भुगतान हेतु प्रेषित करने योग्य माना जावेगा। ठेकेदार अपने द्वारा किये गये कार्य की साप्ताहिक नपती रिपोर्ट क्षेत्रीय वन अधिकारी को देंगे। ठेकेदार द्वारा कार्य की नपती करने हेतु लिखित में आवेदन करने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी को आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस में कार्य का माप करना होगा। 7 दिवस में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा कार्य की नपती नहीं किये जाने पर ठेकेदार मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को लिखित में अवगत करवा सकेंगे जिस पर मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक द्वारा नपती हेतु उचित व्यवस्था की जावेगी। क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा नपती करने से पूर्व ठेकेदार को एक युक्ति युक्त सूचना दी जावेगी, यदि ठेकेदार ऐसी सूचना के बाद माप लेने के समय उपस्थित नहीं रहता या क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा माप लेने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर पाये गये वर्क को अभिलिखित नहीं करता है तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा ली माप ठेकेदार के लिये अंतिम एवं बाध्यकारी होगी और ठेकेदार को उसके सम्बन्ध में विवाद लाने का अधिकार नहीं होगा।

21. ठेकेदार द्वारा माप के विषय में आपत्ति करने पर आपत्तिजनक कार्य की माप के लिये मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक स्वयं अथवा उप वन संरक्षक/ मण्डल वन अधिकारी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं ठेकेदार के समक्ष माप करेंगे एवं मौका पंचनामा बनाकर उप वन संरक्षक/ मण्डल वन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जिस पर उप वन संरक्षक अपने विवेकानुसार अंतिम निर्णय लेंगे जो कि ठेकेदार को मान्य होगा।

22. ठेके से करवाये जाने वाले कार्यों के भुगतान से पूर्व कार्य की नपती एवं बी.एस.आर./अनुबन्ध की दरों के प्रमाणीकरण हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारों के लिये निम्न नॉर्म्स होंगे :-

(1)	कार्यस्थल प्रभारी (वन रक्षक/वनपाल)	100 प्रतिशत
(2)	क्षेत्रीय वन अधिकारी	100 प्रतिशत
(3)	सहायक वन संरक्षक	25 प्रतिशत
(4)	उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी	10 प्रतिशत

उप वन संरक्षक/ सहायक वन संरक्षक कार्य की समुचित सैम्पल टेस्ट चैकिंग कार्य की गणना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। उप वन संरक्षक

अथवा सहायक वन संरक्षक द्वारा कार्य का सैम्पल टेस्ट चैकिंग कर अंतिम बिल में प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है। सैम्पल टेस्ट चैकिंग सम्पूर्ण क्षेत्र में की जावेगी।

23. पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली से कराये गये कार्यों के बिलों को स्वीकृत प्राक्कलन, ट्रीटमेंट प्लान, बजट कन्ट्रोल एवं वर्क कन्ट्रोल रजिस्टर, बी.एस.आर./अनुबन्ध से प्रमाणीकरण एवं कार्य अवधि के संबंध में सही पाया जाने पर लेखा शाखा भुगतान आदेश लगाकर मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक को प्रेषित करेगा जिसे पारित कर बिल का चुकारा क्रॉस चैक द्वारा मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक के स्तर से किया जावेगा एवं चुकारा प्राप्ति रसीद बिल पर ली जावेगी।

24. कार्य सम्पूर्ण होने एवं कार्यस्थल, कार्यस्थल में विद्यमान वन सम्पदा एवं प्रदत्त सामग्री (यदि कोई हो) सहित ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्य को क्षेत्रीय वन अधिकारी अथवा क्षेत्रीय वन अधिकारी के प्रतिनिधि को संभलाने तक इनकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।

25. कार्य निष्पादन हेतु विभाग की ओर से संविदा की शर्तों के अनुसार दी गई सामग्री का लेखा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। बची हुई सामग्री निर्दिष्ट कर्मचारी को लौटाकर रसीद प्राप्त की जावेगी। ठेकेदार को दी गई सामग्री में से किसी सामग्री की कमी होने पर उसकी कीमत ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

26. पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली से कार्य कराते समय ठेकेदार को समय-समय पर प्रचलित श्रम नियमों की पालना करनी होगी एवं श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत यदि कोई राशि अथवा मुआवजा श्रमिकों को देने की स्थिति आती है तो वह राशि एवं मुआवजा भी ठेकेदार को देना होगा। अगर वह मुआवजा राशि राज्य सरकार को देनी पड़े तो ऐसी राशि एवं मुआवजा राशि ठेकेदार से वसूली योग्य होगी।

27. ठेकेदार द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी से माप करवाकर अंतिम बिल प्रस्तुत करने पर यदि संविदा एक लाख रुपये तक की है तो उसका अन्तिम भुगतान 20 दिवस के अन्दर तथा यदि संविदा एक लाख रुपये से अधिक की हो तो एक माह के अन्दर अन्तिम भुगतान कर दिया जाना चाहिये।

28. यदि ठेकेदार कार्य के निष्पादन में अपरिहार्य रूप से बाधा पड़ जाने के कारण या किन्हीं अन्य आधारों पर कार्य को पूरा करने के लिये समय में वृद्धि चाहता है तो यह उस बाधा, जिसके कारण वह यथोपरोक्त समय वृद्धि चाहता है, के विवरण सहित लिखित में मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक को आवेदन करेगा। समय सीमा बढ़ाने के लिये आवेदन अनुबन्ध अनुसार निर्धारित समय सीमा समाप्ति के पूर्व किया जा सकेगा। कार्य पूर्ण करने हेतु समय सीमा मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक की संतुष्टि पर 15 दिवस तक बढ़ाई जा सकती है, 15 दिवस से अधिक समय सीमा बढ़ाने के लिये लिखित आवेदन वन संरक्षक को करना होगा। ऐसे किसी भी आवेदन पर वन संरक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।

29. मण्डल वन अधिकारी को मूल तकनीकी अनुमान, विनिर्देशों, डिजाइनों एवं अनुदेशों में निर्धारित सीमा तक कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन करने का अधिकार होगा जो उसे कार्य की प्रगति के दौरान आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हो। मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक को मूल तकनीकी अनुमान के कार्यों में एवं ठेकेदार से संपादित अनुबन्ध में दर्शाए कार्यों के प्रत्येक आइटम में 25 प्रतिशत तक परिवर्तन, परिवर्धन, कमी करने का अधिकार होगा। लेकिन ठेकेदार से संभावित अनुबन्ध की राशि में इस प्रकार किये गए परिवर्तन, परिवर्धन, कमी से कुल अनुबन्ध राशि में 10 प्रतिशत से अधिक कमी अथवा बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी। मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक द्वारा इस प्रकार किए गए परिवर्तन की लिखित सूचना ठेकेदार को दी जावेगी तथा ठेकेदार ऐसे किसी भी निर्देश के अनुसार कार्य करने को बाध्य होगा एवं इस प्रकार परिवर्तित, परिवर्धित, निर्दिष्ट कार्य ठेकेदार द्वारा मूल अनुबन्ध की शर्तों अनुसार ही संपादित किये जावेंगे। इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति ठेकेदार को देय नहीं होगी।

30. मौके की स्थिति अनुसार यदि ठेकेदार से संपादित अनुबन्ध एवं वर्क ऑर्डर में निर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त कोई कार्य करवाया जाना आवश्यक हो तो मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक ठेकेदार द्वारा सहमति देने पर अनुबन्ध राशि के 10 प्रतिशत तक के अतिरिक्त कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। इस प्रकार अतिरिक्त आइटम में कार्य बी.एस.आर. की दरों तक स्वीकृत किए जा सकेंगे।

31. पंजीकृत ठेकेदार द्वारा किये गये अनुबन्ध को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मण्डल वन अधिकारी को होगा। अनुबन्ध समाप्त करने एवं वैकल्पिक व्यवस्था पर कार्य करवाने के अधिकार ठेका प्रणाली से कार्य सम्पादन की नियमावली अनुसार होंगे।

32. ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण कर क्षेत्रीय वन अधिकारी से कार्य संतोषप्रद तरीके से करने एवं खिलाफवर्जी नहीं करने का प्रमाण पत्र पेश करने पर जमानत राशि यथासम्भव दो माह में लौटा दी जावेगी। यदि ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की खिलाफवर्जी की जाती है अथवा ठेका नियम के तहत कोई कटौती योग्य राशि बनती है तो कटौती पश्चात् शेष जमानत राशि यथासम्भव दो माह में लौटा दी जावेगी। जमानत राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

33. जी शिड्यूल/कार्य शिड्यूल पंजीकृत ठेकेदारों को ही कीमतन उपलब्ध कराया जावेगा।

34. ठेकेदार को उस कार्यालय के अधीन कार्य के लिये निविदा देने की इजाजत नहीं दी जावेगी जिसमें उसका नजदीकी संबंधी क्षेत्रीय वन अधिकारी/सहायक वन संरक्षक/ मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक के पद पर कार्यरत हों। ठेकेदार द्वारा उन व्यक्तियों के नामों की सूची भी दी जावेगी जो किसी भी हैसियत में उसके साथ कार्य कर रहे हैं या जो तुरन्त पश्चात् उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं एवं जो विभाग के किसी राजपत्रित अधिकारी का नजदीकी सम्बन्धी है। ठेकेदार द्वारा इसका उल्लंघन करने पर उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जावेगा।

टिप्पणी :- शब्द ''नजदीकी संबंधी'' से पत्नी, पति, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई एवं बहिनें अभिप्रेत हैं।

35. किसी भी स्वीकृत कार्य के आगामी वर्षों में कराये जाने वाले अवशेष अग्रिम मृदा कार्य हेतु विज्ञप्ति फरवरी/मार्च माह में प्रसारित की जाकर अन्य औपचारिकताएँ पूरी की जा सकेंगी। लेकिन वास्तविक कार्य एक अप्रैल अथवा उसके उपरांत ही प्रारम्भ कराया जावेगा।

36. 30,000 रुपये तक की लागत के कार्य मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक द्वारा सीमित निविदायें आमंत्रित कर कराये जा सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों के लिये ठेकेदार द्वारा कार्य की लागत की 5 प्रतिशत जमानत राशि जमा कराकर अनुबन्ध स्थापित करने की अवधि, मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक द्वारा कार्य की तात्कालिक आवश्यकतानुसार 2 दिवस से 7 दिवस तक निर्धारित की जा सकती है।

37. किसी कार्य हेतु दो बार व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उपरांत भी यदि कोई ऑफर प्राप्त नहीं होता है तो मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक उस कार्य को बी.एस.आर. दरों पर पीस रेट प्रणाली से प्रारम्भ कराकर पूर्ण करा सकते हैं।

38. मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा किसी विकास कार्य को सम्पन्न कराने हेतु निविदायें आमंत्रित करने पर न्यूनतम निविदा दाता ठेकेदार को कार्य कराने के आदेश दिये जाते हैं। ठेकेदार निर्धारित कार्यस्थल पर कार्य भी प्रारम्भ करता है लेकिन यदि वह किसी भी कारणवश कार्य अपूर्ण छोड़कर चला जाता है तो उसकी अमानत एवं जमानत राशि जप्त कर ली जावेगी तथा शेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु द्वितीय न्यूनतम निविदादाता को ऑफर दिया जावेगा। यदि द्वितीय निविदादाता कार्य पूर्ण कराने को तैयार नहीं होता है तो मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक अपने स्वविवेक से दुबारा निविदा आमंत्रित करने के लिये स्वतंत्र होगा अथवा यदि अवशेष समयावधि कार्य की पुनः निविदा प्रसारित करने/कार्य पूर्ण कराने हेतु अल्प/अपर्याप्त है तो विभागीय रूप से पीस रेट प्रणाली से भी कार्य पूर्ण करा सकता है। इस प्रकार कार्य पूर्ण कराने पर यदि राज्य सरकार को कोई वित्तीय हानि होती है तो उसकी वसूली प्रथम न्यूनतम निविदादाता से उसको देय/बकाया समस्त राशि से की जावेगी।

टिप्पणी :- उपरोक्त निर्देशों में उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी से उसके समकक्ष अधिकारी यथा उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, विभागाधीन कार्यालयों में पदस्थापित भू-संरक्षण अधिकारी, अधिशासी अधिकारी अभिप्रेत हैं।

राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्र क्रमांक प.15(10)वन/95 जयपुर दिनांक 26 फरवरी, 1996

विषय :- गैर राजकीय संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण कराने की योजना।

संदर्भ : प.18(20)प्र.सु./अनु-1/समन्वय/95/दिनांक 18.1.1996

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के साथ संलग्न मेरे राजकीय संस्थाओं के माध्यम से राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाये जाने हेतु ''जनता वन योजना'' की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशानुसार निवेदन है कि इस योजना के लिए बजट में राशि का प्रावधान कराने का कष्ट करें। उक्त कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए वित्त विभाग ने उनके आई.डी. संख्या 2782/वित्त/व्यय-1/95 दिनांक 7.10.95 के अन्तर्गत सहमति प्रदान कर दी है।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
उप शासन सचिव, वन

शासन सचिवों की समिति की बैठक दिनांक 22.11.95 में वन विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर हुई चर्चा का कार्यवाही विवरण

दिनांक 22.11.1995 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित सचिवों की समिति की बैठक में गैर राजकीय संस्थाओं के माध्यम से राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाये जाने हेतु वन विभाग द्वारा प्रस्तुत ''जनता वन योजना'' पर विचार किया गया।

मुख्य सचिव महोदय के सुझावानुसार संस्थाओं की पात्रता के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि पंचायतों के पंजीकरण का प्रश्न नहीं उठता। भूतपूर्व सैनिक संगठन या तो किसी राज्य स्तरीय सैनिक संगठन से सम्बद्ध होने चाहिये या पंजीकृत होने चाहिये। वन विभाग द्वारा गठित वे ही वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां पात्र होंगी जो कम से कम 2 वर्ष से वन विभाग के साथ कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त अन्य गैर सरकारी संस्थाओं का पंजीकरण आवश्यक है।

अतः उपरोक्त संशोधन के साथ वन विभाग द्वारा प्रस्तुत ''जनता वन योजना'' (परिशिष्ट-अ) स्वीकृत की गई।

हस्ताक्षर/-
उप शासन सचिव

Annexure 'A'

गैर राजकीय संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण की योजना

1. परिचय

राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र तो राज्य के क्षेत्रफल के मुकाबले 9 प्रतिशत से ऊपर है परन्तु वास्तविक वन क्षेत्र 3.8 प्रतिशत है। पिछले लगभग पाँच दशकों में वनीकरण का कार्य मूल रूप से वन विभाग के द्वारा ही किया गया है, परन्तु उपरोक्त स्थिति को देखते हुए इस विषय में एक नवीन प्रयोग की आवश्यकता प्रतीत होती है जिसके अन्तर्गत ऐसे संगठनों को इस कार्य में लगाया जावे जो समर्पित रूप से कार्य करें। अतः यह भी आवश्यक है कि प्रक्रिया का सरलीकरण किया जावे, इसी दृष्टि से यह योजना प्रस्तावित की गई है। वन मंत्री जी ने इस योजना का नाम ''जनता

वन योजना'' प्रस्तावित किया है।

2. योजना का क्रियान्वयन

उक्त योजना परीक्षण के आधार पर प्रारम्भ की जा रही है। इसलिये प्रारम्भिक तौर पर इसका क्रियान्वयन ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, पंचायतें एवं भूतपूर्व सैनिक संगठन, अनुभवी गैर सरकारी संस्थाओं को ही दिया जायेगा। एजेन्सी का चयन उनकी पिछली सफलताओं एवं वानिकी कार्यों के प्रति उनके पूर्ण योगदान के आधार पर किया जावेगा। योजना की सफलता के आधार पर भविष्य में निजी व्यक्तियों एवं अन्य संस्थाओं को भी इस कार्य में सम्मिलित किया जा सकता है।

गैर मरुस्थलीय क्षेत्र में एक इकाई 20 हैक्टर की होगी तथा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में एक इकाई 12 हैक्टर की होगी। सामान्यतया एक संस्था को एक ही कार्य इकाई आवंटित की जावेगी परन्तु अगर कोई संस्था एक से अधिक इकाई का कार्य करने की क्षमता रखती है तो संस्था को एक से अधिक इकाई का आवंटन किया जा सकता है। परन्तु इसका निर्णय संबंधित मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर किया जावेगा। रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस वर्ष 10 यूनिटों में कार्य चालू करने का प्रस्ताव था और गैर रेगिस्तानी क्षेत्रों में 16 यूनिटों पर कार्य करने का। यदि निर्णय में समय लगता है तो इस संख्या में कमी कर दी जावेगी। सफलता के आधार पर भविष्य में अधिक क्षेत्र में यह योजना लागू की जावेगी। कार्यकारी संस्था का चयन संबंधित वन संरक्षक द्वारा मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक से प्राप्त प्रस्तावों में से किया जावेगा। आवंटित किये जाने वाले कार्यों की कोई निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र अथवा अन्य विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित नहीं की जावेगी।

3. कार्यस्थल का चयन

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु स्थल का चयन मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान कराये जाने वाले वृक्षारोपण/अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्राप्त प्रस्तावों में से किया जावेगा। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में वृक्षारोपण वर्ष 1995-96 के दौरान कराया जा सकता है। अन्य क्षेत्रों में वर्ष 1995-96 के दौरान केवल अग्रिम मृदा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। प्राथमिकता के तौर पर वन भूमि, पंचायत भूमि, औरण भूमि अथवा अन्य राजकीय भूमि वृक्षारोपण हेतु चयनित की जावेगी। इस भूमि के वैधानिक स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा व कार्य करने वाली संस्था का मात्र इस योजना की भूमि पर कार्य करने का दायित्व रहेगा।

4. लागत अनुमान

(अ) गैर मरुस्थलीय क्षेत्र (पंचायत भूमि वृक्षारोपण) में लगाये जाने वाले पौधों की संख्या 1100 प्रति हैक्टर, पौधे की दूरी 3 × 3 मी.

क्रम सं.	वर्ष	कार्य	लागत (रुपये प्रति है.)
1	शून्य वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	6750
2	प्रथम वर्ष	वृक्षारोपण	5400
3	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष संधारण	2500
4	तृतीय वर्ष	द्वितीय वर्ष संधारण	1300
5	चतुर्थ वर्ष	तृतीय वर्ष संधारण	1300
		योग	17250

विस्तृत कार्य अनुमान परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(ब) मरुस्थलीय क्षेत्र : (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र-ब्लॉक वृक्षारोपण) लगाये जाने वाले पौधों की संख्या 835 प्रति हैक्टर, पौधे से पौधे की दूरी - 4 मीटर × 3 मीटर

क्रम सं.	वर्ष	कार्य	लागत (रुपये प्रति है.)
1	शून्य वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	1100
2	प्रथम वर्ष	वृक्षारोपण	6300
3	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष संधारण	3000
4	तृतीय वर्ष	द्वितीय वर्ष संधारण	2200
5	चतुर्थ वर्ष	तृतीय वर्ष संधारण	1900
		योग	14500

विस्तृत कार्य के अनुमान परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

कार्य अनुमान ''अ'' व ''ब'' का आधार वर्तमान में प्रचलित विभागीय बी.एस.आर. के अनुरूप है। उपरोक्त लागत अनुमान मात्र विभागीय दिशा-निर्देश हैं। सम्बन्धित संस्था को अपनी विधि से कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। विभाग यह अवश्य सुनिश्चित करेगा कि पौधों की मवेशी की चराई से सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है और आवश्यकतानुसार कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी किया गया है। आवश्यकतानुसार लगाये गये पौधों की समुचित सिंचाई हो सके, यह भी व्यवस्था संबंधित संस्था द्वारा यथासंभव अपेक्षित है। प्रति वर्ष देय राशि उस वर्ष के लिए निर्धारित उपरोक्त लागत से अधिक नहीं होगी।

5. क्रियान्वयन प्रणाली

कार्यकारी एजेन्सी का ठेका पांच वर्षों के लिए एवं सम्पूर्ण वृक्षारोपण कार्य मय संधारण के लिए दिया जावेगा। आंशिक कार्य एवं आंशिक अवधि के लिए कोई ठेका नहीं दिया जावेगा। किसी भी कार्यकारी एजेन्सी को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति/कार्यकारी एजेन्सी को देने का अधिकार नहीं होगा।

6. पात्रता

वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर गठित वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियाँ पंचायत, भूतपूर्व सैनिक संगठन एवं वानिकी विकास कार्यों हेतु अनुभव गैर सरकारी संस्थानों को ही इस योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों हेतु चयनित किया जावेगा। योजना का क्रियान्वयन सफल होने पर आगामी वर्षों में निजी व्यक्तियों एवं अन्य संस्थानों के माध्यम से भी ये कार्य कराये जा सकेंगे।

7. भुगतान की विधि

कार्यकारी संस्था को समय-समय पर उसके द्वारा किये गये कार्य के आधार पर रनिंग बिल (Running bill) के माध्यम से भुगतान किया जावेगा। भुगतान योग्य राशि का आकलन उस देय राशि में किये गये कार्य की स्थिति के आधार पर होगा। भुगतान मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा किया जावेगा। कार्य की स्थिति से तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र में जानवर आदि के प्रवेश करने के लिये क्या बाड़-बंदी की गई है, पानी रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं व पौधों को आवश्यक पानी मिल सके, इसकी क्या व्यवस्था हुई है और पौधे लगाने के लिये समुचित गड्डे बनाये गये हैं, यह भुगतान से पूर्व देखना होगा व किये गये कार्य के पश्चात् भुगतान अतिशीघ्र हो जावे, यह देखना होगा।

8. वित्तीय भार

(रुपये लाखों में)

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	योग
इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र	2.64	15.12	7.20	5.28	4.56	34.80
गैर मरुस्थलीय क्षेत्र	13.50	10.80	5.00	2.60	2.60	34.50
योग	16.14	25.92	12.20	7.88	7.16	69.30

उक्त वित्तीय भार हेतु राज्य सरकार से किसी अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की गई है। समस्त व्यय विभाग की स्वीकृत नियमित योजना से, पूर्व निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध किया जायेगा।

9. शर्तें

(1) चयनित संस्था/समिति को 5 वर्ष के लिये मान्य, 20,000/- रुपये की बैंक गारंटी अथवा फिडिलिटी गारंटी (Fidelity Guarantee) प्रस्तुत करनी होगी। उक्त गारंटी संबंधित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी।

(2) कार्यकारी संस्था द्वारा मांग करने पर, संस्था को देय प्रति वर्ष की राशि का 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान उस वर्ष के लिये किया जा सकेगा। उक्त अग्रिम राशि, संस्था को रनिंग बिल के आधार पर भविष्य में होने वाले भुगतान में से किस्तों में काटी जावेगी। किस्त की सीमा रनिंग बिल की राशि के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।

(3) कार्यकारी संस्था/समिति को कार्य के समय से क्रियान्वयन हेतु एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होगा। कार्य शिड्यूल/कलैण्डर की प्रति उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा कार्यकारी संस्था/समिति को अनुबंध के समय उपलब्ध कराई जावेगी। मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक, समिति/पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन अपनी देख रेख में करवायेंगे।

(4) कार्यकारी संस्था/समिति को वृक्षारोपण क्षेत्र में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की समाप्ति पर 70 प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष में 65 प्रतिशत तक तथा पांचवे वर्ष की समाप्ति पर 60 प्रतिशत जीवित पौधे बताने होंगे।

(5) उक्त मापदंडों से कम पौधे जीवित होने पर उसी प्रतिशत में तदनुसार संस्था/समिति को भविष्य में होने वाले भुगतान के बिलों/बैंक गारंटी/फिडिलिटी गारंटी में से राशि की कटौती कर ली जावेगी। सत्यापन के समय समिति का अध्यक्ष अथवा उसका प्रतिनिधि साथ रहेगा।

(6) कार्य के क्रियान्वयन के दौरान विभागीय अधिकारियों को कार्य के सत्यापन का पूर्ण अधिकार होगा। उक्त सत्यापन मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक की देखरेख में किया जावेगा।

(7) कार्यकारी संस्था के असफल होने/कार्य छोड़कर चले जाने की स्थिति में अवशेष कार्य विभागीय माध्यम से पूर्ण कराया जावेगा।

(8) इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिये प्रेरित करने हेतु कार्यकारी संस्था/समिति को उपयुक्त किस्म के पौधे वन विभाग कार्य स्थल पर निःशुल्क उपलब्ध करवायेगा।

(9) इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में फैन्सिंग, मैटिरियल, जंगल, आयरन, बारबड़ वायर, पम्प्स, पाइप (सिंचाई के उपकरण) आदि आवश्यकतानुसार विभाग उपलब्ध करायेगा। फैन्सिंग व अन्य मैटिरियल के लगाने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी।

(10) घास की उन्नत किस्म का बीज भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

(11) वित्त विभाग के सुझाव के अनुरूप प्रत्येक वर्ष पौधों के जीवित रहने की स्थिति देखी जावेगी। जीवित पौधों का प्रतिशत सामान्य न होने पर विभाग को अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा। यह निर्णय रेगिस्तानी क्षेत्र में सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक एवं गैर रेगिस्तानी

क्षेत्र के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक (विकास) के स्तर पर होगा। वित्त विभाग के सुझाव के अनुसार भुगतान पर कड़ी नजर रखने बाबत् विभागाध्यक्ष को समुचित निर्देश दे दिये जावेंगे।

10. आवश्यक प्रशिक्षण

कार्यकारी संस्था/समिति को वृक्षारोपण कार्य से संबंधित समस्त प्रशिक्षण वन विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।

11. प्रजातियों का चयन

(अ) गैर मरुस्थलीय क्षेत्र हेतु :- नीम, शीशम, सिरस, महुआ, खैर, चुरैल, खिरनी, हल्दू, बांस, आँवला, अरडू इत्यादि स्थल की माँग के अनुसार।

(ब) इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र हेतु :- शीशम, अरडू, पोपूल्स, खेजड़ी, रोहिड़ा, गूंदी, बेर, इजरायली बबूल, लिसोड़ा इत्यादि।

12. संस्था/समिति को अन्य लाभ

कार्यकारी संस्था/समिति के वृक्षारोपण क्षेत्र से घास एवं अन्य लघु वन उपज स्थानीय ग्रामवासियों की मांग की पूर्ति हेतु निःशुल्क एकत्रित कर सकेगी।

13. जोखिम के बिन्दु

1. कार्य के क्रियान्वयन की लम्बी अवधि को देखते हुए, धैर्य के अभाव में कार्यकारी संस्था/समिति कार्य को बीच में ही छोड़ सकती है।
2. प्राकृतिक आपदाओं जैसे पाला, अग्नि, सूखा इत्यादि के कारण वृक्षारोपण कार्य पूर्ण रूप से असफल हो जाता है एवं लागत राशि व्यर्थ जा सकती है।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ21(19)95-96/आयो/प्रमुवसं/ 7205 दिनांक 17.7.1997

वृक्षारोपण कार्यों की सफलता में जनभागीदारी का विशेष महत्व है। विभाग द्वारा करवाये जा रहे वृक्षारोपण कार्यों में पारदर्शिता लाये जाने का प्रयास जनभागीदारी प्राप्त करने में सहायक होगा। विभाग के कार्यों से संबंधित सूचनायें आम जनता को जितनी सहजता से सुलभ होंगी, उसी अनुपात में स्थानीय लोगों का जुड़ाव वृक्षारोपण कार्यों के प्रति होगा। इसी उद्देश्य से इस परिपत्र के माध्यम से निर्देश प्रसारित किये जाते हैं कि समस्त वृक्षारोपण स्थलों पर लगाये जाने वाले साइन बोर्डों पर निम्न सूचनाएँ आवश्यक रूप से अंकित की जावें:-

1. वृक्षारोपण का नाम
2. वन मण्डल, रेंज का नाम
3. क्षेत्रफल (हैक्टर में)
4. वृक्षारोपण वर्ष

साइन बोर्ड के दूसरी ओर :-

1. परिमाप मीटर में
2. लगाये गये पौधों की संख्या
3. रोपित पौधों की मुख्य प्रजातियां

4. भू एवं जल संरक्षण कार्यों की मात्रा (रनिंग मीटर या संख्या)
   - कन्टूर ट्रेंच स्टेगर्ड/कन्टीन्यूअस
   - वी-डिच
   - कन्टूर डाईकस
   - चैकडैम्स
   - अन्य
5. सम्भावित कुल आय

अतः समस्त वनाधिकारियों से अपेक्षा है कि वर्ष 1997 में करवाये जाने वाले वृक्षारोपण स्थलों पर उक्त समस्त सूचनाएं संबंधित प्लान्टेशन के साइन बोर्ड पर आवश्यक रूप से अंकित करवायी जावें।

हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ22(1)97/विकास/प्रमुवसं/11081-210 दिनांक 17.10.1997

विषय :- पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली के अंतर्गत कार्य सम्पादन में आ रही कठिनाइयों का निराकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.22(1)95/विकास/प्रमुवसं/ 8332-461 दिनांक 20.7.1995 द्वारा पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली के तहत कार्य करवाये जाने हेतु विस्तृत दिशा- निर्देश प्रसारित किये गये थे। पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली से कार्य सम्पादन में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कुछ कठिनाइयां महसूस की गई यथा ठेकेदार कार्य पूर्ण किये बिना ही बीच में कार्य अपूर्ण छोड़ देता है अथवा कई कार्यों पर कोई भी ठेकेदार निविदा प्रस्तुत नहीं करता है।

पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली से कार्य सम्पादन में महसूस की जा रही उपरोक्त कठिनाइयों को मध्य नजर रखते हुए राज्य सरकार से पूर्व में प्रचलित पीस रेट प्रणाली से कार्य सम्पादित करवाये जाने की स्वीकृति चाही गई थी।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ.13(15)वन/93 दिनांक 18.9.97 (प्रति संलग्न) से कुछ शर्तों के साथ पीस रेट प्रणाली पर कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान की है। पीस रेट प्रणाली इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.11(27) 81/जांच/प्रमुवसं/3894-3914 दिनांक 18.10.82 से लागू की गई थी। कृपया इनका भली-भांति अध्ययन कर प्रमुख रूप से निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें :-

1. खुली निविदा के पश्चात् भी यदि किसी कार्य के लिए एक भी निविदा प्राप्त नहीं होती है तो पुनः निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है एवं किसी भी पंजीकृत ठेकेदार से बी.एस.आर. की दरों पर पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली से कार्य करवा लिया जावे। यदि ऐसे कार्य पर कोई भी पंजीकृत ठेकेदार कार्य करने हेतु सहमत नहीं हो तो पूर्व में प्रचलित पीस रेट प्रणाली से कार्य करवा लिया जावे।
2. यदि कोई ठेकेदार कार्य बीच में ही अपूर्ण छोड़ देता है तो अवशेष कार्य को किसी भी पंजीकृत ठेकेदार से पुनः निविदा आमंत्रित किये बिना ही बी.एस.आर. की दरों पर करवाया जा सकता है। ऐसा करने से राज्य सरकार को हुई हानि की वसूली कार्य को अपूर्ण छोड़कर गये ठेकेदार से

नियमानुसार की जावेगी। यदि अवशेष कार्य को करने हेतु कोई भी ठेकेदार सहमत नहीं हो तो पूर्व में प्रचलित पीस रेट प्रणाली से कार्य पूर्ण करवा लिया जावे।

3. पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि निविदाओं का प्रकाशन स्थानीय अखबारों में आवश्यक रूप से करवाया जावे। निविदा फॉर्म निविदा जारी करने वाले अधिकारी से अधीनस्थ/उच्च कार्यालयों में भी बिक्री हेतु उपलब्ध करवाये जावें।

4. पूर्व में प्रचलित पीस रेट प्रणाली के अन्तर्गत भुगतान मासिक आधार पर रेखांकित खाते में देय (Crossed A/c Payee) चैक/ड्राफ्ट से किया जाना चाहिए क्योंकि गैंग का मुखिया भी एक छोटे ठेकेदार की तरह ही है।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार, विशिष्ठ योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग का परिपत्र क्रमांकः एफ6(12)एसएस/ 4/96 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 7.4.98

राज्य में एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाओं के अधीन जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाये जाने की दृष्टि से समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.8.97 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। तदनन्तर कुछ जिलों की समीक्षा के दौरान यह देखने में आया कि कार्यक्रम क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा कार्य निष्पादन के बिलों के भुगतान पर अनुमति देने हेतु लम्बी एवं टेढ़ी प्रक्रिया अपनाकर मजदूरों के भुगतान में काफी विलम्ब किया जा रहा है। इसे देखते हुए इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ.8(25)एस.एस./4/96 दिनांक 7.3.98 द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि वाटरशेड कमेटी द्वारा कार्य की नपती करके बिल बनाने के बाद उसकी जांच जलग्रहण विकास दल (डब्ल्यू.डी.टी.) के सदस्य द्वारा कराकर भुगतान के लिए पारित किया जावे। स्पष्टतया अब बिल प्री-ऑडिट या भुगतान हेतु पारित करने के लिए पी.आई.ए. को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

निश्चित रूप से इस व्यवस्था से जहां एक तरफ प्रक्रिया में सरलीकरण हुआ है वहीं दूसरी तरफ वित्त प्रबन्ध सही हो एवं व्यय भारत सरकार एवं राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप हों यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण हो गया है। इसी दृष्टि से यह आवश्यक है कि वाटरशेड कमेटी के लेखों का नियमित वार्षिक अंकेक्षण हों। नियमित वार्षिक अंकेक्षण के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेः-

1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रतिवर्ष निम्न पात्रता रखने वाले अंकेक्षकों का पैनल तैयार करेगा जिसे सर्टिफाइड ऑडिटर के पैनल के नाम से जाना जायेगा :-

   (क) ऐसे चार्टर्ड अकाउण्टेंट जिनके पास गांवों में जाकर समिति के अंकेक्षण के लिये उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था हो एवं वे इस प्रकार के अंकेक्षण करने की इच्छा रखते हों।

   (ख) सहकारिता विभाग से निरीक्षक या उससे वरिष्ठ पद से सेवानिवृत्त ऐसे अधिकारी जो वाणिज्यिक कार्य करने वाली सहकारी संस्थाओं में प्रबंध कार्य करने या उनका अंकेक्षण करने का अनुभव रखते हों।

   (ग) राजस्थान लेखा सेवा या उनके अधीनस्थ सेवा में कम से कम सहायक लेखाधिकारी या उससे वरिष्ठ पद से सेवानिवृत्त ऐसे अधिकारी जिन्हें बैलेंसशीट तैयार करने, लाभहानि लेखे तैयार करने एवं दोहरे इन्द्राज की लेखा पद्धति का ज्ञान एवं अनुभव हो।

2. वाटरशेड कमेटी सर्टिफाइड ऑडिटर्स के पैनल में से अंकेक्षक नियुक्त करेगी एवं सुनिश्चित करेगी कि नियुक्ति वित्तीय वर्ष समाप्त होने के एक सप्ताह में ही हो जाये।

3. अंकेक्षण को भुगतान योग्य राशि का निश्चितयन वाटरशेड कमेटी करेगी। एकरूपता एवं सुविधा के लिये अभिकरण राशि निर्धारण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर एवं पैनल के सदस्यों से चर्चा कर तर्कसंगत फीस लिये जाने में समिति को सहयोग करेगा।

4. समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि मई माह के अंत तक अंकेक्षण प्रतिवेदन अभिकरण को प्रस्तुत कर दिया जाता है। परियोजना क्रियान्वयन संस्था एवं जल ग्रहण विकास दल के सदस्यों को भी इस बाबत् पूरा ध्यान रखना होगा।

यह भी देखने में आया है कि स्वीकृतिशुदा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जलग्रहण विकास दल के कौन-कौन से सदस्य परियोजनाओं से संबंध हैं, यह जानकारी स्थानीय जनता को पूरी तरह पता नहीं है। निश्चित रूप से यह इस बात को दिग्दर्शित करता है कि जलग्रहण विकास दल के सदस्य अभी पूरी तरह कार्यक्रम से नहीं जुड़ सके हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। इसमें तत्काल सुधार लाया जावे। इसके लिए निम्न कार्यवाही तत्काल की जावे :-

(1) प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निम्न प्रपत्र में पंजिका संधारित करें तथा इसका समुचित प्रचार-प्रसार भी करायें :-

जलग्रहण परियोजना का नाम	परियोजना का क्षेत्रफल	परियोजना खाता संख्या मय बैंक का नाम	जलग्रहण समिति के अध्यक्ष का नाम	परियोजना से संबंध डब्ल्यू.डी.टी. के सदस्यों के नाम

(2) जिला कलेक्टर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं कार्यों की निगरानी समिति की नियमित बैठक आयोजित कर यह व्यवस्था करावें कि योजनाओं का क्रियान्वयन गतिशीलता के साथ होवे एवं कार्य करने वाले मजदूरों के भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हो।

(3) आगामी परियोजना निदेशकों की बैठक में उपरोक्त सूचना की एक प्रति मुख्यालय को भी उपलब्ध करायी जावे।

हस्ताक्षर/-
(वी.एस.सिंह)
शासन सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ21(19)95-96/आयो/प्रमुवसं/ तकनीकी/1000-1150 दिनांक 5.5.2001

विषय :- वृक्षारोपण / बीजारोपण हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ21(19)विकास/प्रमुवसं/6800-950 दिनांक 7.5.98 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को निरस्त करते हुए गत वर्षों के अनुभवों के आधार पर वृक्षारोपण कार्य को बहु आयामी एवं बहु उद्देशीय बनाने तथा साझा वन प्रबन्धन को गति देने के उद्देश्य से निम्न संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैंः-

राजस्थान प्रदेश में वन संवर्धन एवं वन विकास कार्यों में साझा वन प्रबन्धन को और अधिक क्रियाशील करने के लिए वृक्षारोपण कार्यों की अधिक गुणवत्ता के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि वृक्षारोपण कार्य बहुआयामी व बहुउद्देशीय होने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि

वृक्षारोपण कार्य में बीजारोपण व पौधारोपण के चयन में इस प्रकार की प्रजातियां लगाई जावें कि प्रथम वर्ष से लम्बे समय तक किसी न किसी रूप में प्रति वर्ष वन उपज-घास, पत्तियों का चारा, मूंज, खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जी, अखाद्य तेल, औषधियां, गोंद, बांस, ईंधन, इमारती लकड़ी आदि स्थानीय नागरिकों को लगातार मिलती रहे अर्थात् स्थानीय लोगों को वृक्षारोपण कार्यों से आर्थिक रूप से जोड़ कर ही साझा वन प्रबन्ध की सफलता हासिल हो सकती है। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वृक्षारोपण कार्य संपादित करते समय निम्न तथ्यों पर ध्यान रखा जावे। उल्लेखित निर्देश पूर्णतया सलाहकारी है जिनमें स्वविवेक, अनुभव एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उप वन संरक्षक आंशिक संशोधन कर सकते हैं।

1. वृक्षारोपण क्षेत्र में पाए जा रहे प्राकृतिक पौधों को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास किए जावें। इस कार्य हेतु संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कटबैक, प्रूनिंग, थांवले बनाना तथा प्रजातिकीय आवश्यकता अनुसार रिंग ट्रेंच बनाने का कार्य किया जावे। तेन्दू के क्षेत्र में कर्षण कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अधिक से अधिक कराया जावे जिससे कि तेन्दू पत्ता उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हो।

2. वृक्षारोपण की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण के मॉडल के अनुसार उन्नत किस्म की घास का बीजारोपण किया जावे। वृक्षारोपण क्षेत्र में फरोज बनाकर घास के उन्नत बीजों की सामयिक बुवाई कर क्षेत्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जावे क्योंकि घास के उत्पादन से जनता को अधिक लाभ मिलेगा एवं उनका क्षेत्र से आर्थिक रूप से जुड़ाव बढ़ेगा। वीडिच और ट्रेंचों पर कैस्टर, रतनजोत एवं औषधीय पौधों के बीज अन्य वृक्ष की प्रजातियों के साथ किया जावे। फैन्सिंग लाइन के साथ-साथ रतनजोत एवं थोर की कटिंग लगाई जावे।

3. वृक्षारोपण एवं बीजारोपण हेतु ऐसी प्रजातियों का चयन किया जाना आवश्यक है जिनसे स्थानीय जनता को अधिक से अधिक लाभ अल्प से दीर्घ अवधि में मिल सके जिससे कि तीन चार वर्षों बाद घास का उत्पादन कम हो जावे तो विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों से फल, चारा एवं अन्य लघु वन उपज प्राप्त हो। पौधों की प्रजातियों का चयन करते समय क्षेत्र की परिस्थितिकीय स्थिति, प्रजाति क्षेत्र के लिए उपयुक्तता एवं क्षेत्र की उत्पादकता को ध्यान में रखा जावे जिससे कि आने वाले वर्षों में उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन भी कायम हो। यथासम्भव स्थानीय प्रजातियों को प्रमुखता दी जावे।

   राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रजातियों को प्राथमिकता दिया जाना उचित होगा :-

(क) वृक्षारोपण क्षेत्र प्रथम :- बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, प्रतापगढ़ वन मण्डल।

(1) गहरी मृदा वाले क्षेत्र :

बीजारोपण-घास, कुमठा, देशी बबूल, खैर, छीला, नीम, चुरैल, तेन्दू, लसोडा, कैस्टर, रतनजोत, स्टाईलनथस, हैमेटा, मूसली, चित्रक, अश्वगंधा आदि (उपयुक्त यह रहेगा कि कुछ वीडिच के ऊपर औषधीय प्रजातियों के एक ही किस्म के बीज या कुदरती गांठ लगाई जावें)

पौधारोपण - बांस, सागवान, हवन, खैर, अर्जुन, आंवला, शीशम, आम, जामुन, महुआ, अरडू, चुरैल, बहेड़ा, सिरस, गुर्जन, खिरनी, लसोडा, नीम, बेलपत्र, सीताफल, करंज, कैत, बेर आदि।

(2) कम मृदा वाले क्षेत्र :

बीजारोपण-घास, कुमठा, देशी बबूल, बेर, रोंझ, छीला, खैर, नीम, चुरैल, गूगल (कटिंग) बज्रदंती, बुहार, आंवलछाल, कैस्टर, रतनजोत, करोंदा आदि।

पौधारोपण - बेर, आंवला, सीताफल, नीम, चुरैल, गूंदी, इमली, जंगल जलेबी, बबूल, खैर, बेलपत्र, कैंगरखैर (जहां और कोई प्रजाति रोपित नहीं की जा सकती हो)

(ख) वृक्षारोपण क्षेत्र द्वितीय :- अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर व धौलपुर।

(अ) गहरी मृदा वाले क्षेत्र :-

बीजारोपण - घास, कुमठा, देशी बबूल, नीम, चुरैल, छीला, खेजड़ी, बेर, रौंझ, अरडू, खैर, केरअर, रतनजोत, सीताफल, मूंजा के टब्स (भरतपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर एवं धौलपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में)

पौधारोपण -शीशम, देशी बबूल, अरडू, नीम, चुरैल, कुमठा, सिरस, धौंक, बेलपत्र, करंज, अकेशिया टोरटलिस (केवल रेतीले क्षेत्रों में) सालर की कटिंग।

(ब) कम मृदा वाले क्षेत्र :-

बीजारोपण - घास, कुमठा, देशी बबूल, छीला, बेर, खेजड़ी, खैर, झाबेरी, नीम, कैस्टर, करौंदा, रतनजोत, बज्रदंती, गूगल (कटिंग) आदि।

पौधारोपण - कुमठा, रौंझ, नीम, चुरैल, गोदा, धौंक, अकेशिया टोरटलिस (केवल रेतीले क्षेत्रों में) प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा (जहां किसी भी अन्य प्रजाति का रोपण संभव न हो)

(ग) वृक्षारोपण क्षेत्र तृतीय :- कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं बारां

(अ) गहरी मृदा वाले बारां -

बीजारोपण - घास, कुमठा, देशी बबूल, नीम, चुरैल, छीला, बेर, रौंझ, अरडू, खैर, केस्टर, रतनजोत, सीताफल आदि।

पौधारोपण - शीशम, देशी बबूल, अरडू, नीम, चुरैल, कुमठा, खैर, बांस, हवन, अर्जुन, बहेड़ा, महुआ, सिरस, धौंक, बेलपत्र, आम, करंज, सालर की कटिंग आदि।

(ब) कम मृदा वाले क्षेत्र :

बीजारोपण - घास, कुमठा, देशी बबूल, नीम, चुरैल, छीला, बेर, रौंझ, अरडू, खैर, केस्टर, रतनजोत, सीताफल बज्रदंती, गूगल (कटिंग्स)।

पौधारोपण - कुमठा, नीम, रौंझ, चुरैल, गोदा, धौंक, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा (जहां किसी भी अन्य अधिक उपयोगी प्रजाति का रोपण संभव न हो)

(घ) वृक्षारोपण क्षेत्र चतुर्थ :- सीकर, झुन्झुनूं, अजमेर, नागौर, पाली, जालौर (अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल वाले जिले)

बीजारोपण - घास, कुमठा, देशी बबूल, नीम, चुरैल, बेर, रौंझ, खेजड़ी, केस्टर, रतनजोत व मूंजा के टब्स आदि।

पौधारोपण - बेर, सीताफल, कुमठा, देशी बबूल, शीशम, नीम, धौंक, चुरैल, रौंझ, खेजड़ी, साल्बेडोरा (केवल पाली एवं जालौर के क्षारीय क्षेत्र में), रोहिड़ा, अकेशिया टोरटलिस (केवल रेतीले क्षेत्रों में), प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा (केवल ऐसे क्षेत्रों में जहां किसी भी अन्य उपयोगी प्रजाति का रोपण संभव न हो)

(च) वृक्षारोपण क्षेत्र पंचम :- जोधपुर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के असिंचित क्षेत्रों सहित)

बीजारोपण - घास, कुमठा, खेजड़ी, बेर, इजरायली बबूल, रोहिड़ा एवं झरबेरी आदि।

पौधारोपण - खेजड़ी, बेर, रोहिड़ा, नीम व इजरायली बबूल आदि।

(छ) वृक्षारोपण क्षेत्र षष्ठम :- गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के असिंचित क्षेत्र छोड़कर)

बीजारोपण - देशी बबूल, खेजड़ी, बेर, केस्टर, स्टाईलेनथस हेमाटा एवं सज्जीलाना।

पौधारोपण - शीशम, देशी बबूल, सफेदा, पॉपलर, सैमल, अरडू, रोहिड़ा, बेर एवं खेजड़ी आदि।

उप वन संरक्षक प्रयोग के तौर पर नई तकनीक या किसी प्रजाति का वृक्षारोपण क्षेत्र के दस प्रतिशत क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। क्षेत्र विशेष के लिए ऊपर उल्लेखित प्रजातियों के अलावा किसी अन्य प्रजाति को शामिल करने हेतु उप वन संरक्षक अपने वन संरक्षक से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रयोजनार्थ प्रजातियों में परिवर्तन हेतु सम्बन्धित वन संरक्षक को अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वानिकी विकास परियोजना, राजस्थान, कोटा का परिपत्र क्रमांकः एफ( )विकास/ मुवसं/वाविप/2001/ 6053 दिनांक 30.8.2001

विभाग के अन्तर्गत गत वर्षों में कराये गये विकास कार्यों का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किये गये रिव्यू में कुछ बिन्दुओं पर मुख्य रूप से आपत्ति की है। यह ऐसे कार्य हैं जो कि विकास कार्यों की प्राथमिक आवश्यकता व तैयारी का प्रथम सोपान है। इस हेतु समय-समय पर विभाग द्वारा अधीनस्थ वन अधिकारियों को निर्देश/परिपत्र जारी किये गये। पूर्व में जारी किये गये आदेशों/निर्देशों के क्रम में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि :-

1. कोई भी विकास कार्य वृक्षारोपण आदि कराने से पूर्व उसका ट्रीटमेंट प्लान, माइक्रोप्लान आदि अनिवार्य रूप से तैयार करें।
2. कोई भी विकास/निर्माण कार्य तकमीना (एस्टीमेट) की सक्षम स्वीकृति प्राप्त/जारी किये बिना प्रारम्भ नहीं किये जावें।
3. वृक्षारोपण हेतु हमेशा विभिन्न मॉडलों में निर्धारित पौधारोपण संख्या अनुसार उपयुक्त कार्यस्थल का ही चयन किया जावे। यदि कार्यस्थल पर पौधारोपण कम/अधिक होने की सम्भावना हो तो आवंटित राशि का तदनुसार ही उपयोग कर शेष राशि समर्पित की जावे व तैयार किये गये पौधों का उचित उपयोग वितरण सुनिश्चित किया जावे।
4. वन मण्डलों में वृक्षारोपण से सम्बन्धित पूर्ण रिकॉर्ड का उचित एवं नियमानुसार संधारण किया जावे। सभी वन मण्डलों में साइटवार प्लान्टेशन जनरलों का व्यवस्थित संधारण कर अधिकारियों के निरीक्षण नोट भी अंकित किये जावें। कार्यस्थल की स्थिति/विकास संबंधित समस्त इन्द्राज यथा समय अंकित किये जावें।
5. समय-समय पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार अधीनस्थ वन क्षेत्र/विकास एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से सम्बन्धित वन अधिकारियों द्वारा किया जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं में दिये गये दिशा-निर्देशों की सभी वनाधिकारियों द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण पर यदि उक्त निर्देशों की पालना में कमियां पायी गयीं तो सम्बन्धित अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व माना जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक,
वानिकी विकास परियोजना,
राजस्थान, कोटा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 21(19)2000 / तक / विकास / प्रमुवसं / 8268 **दिनांक 15.3.02**

परिपत्र

राज्य के अनेक भागों से विशेषकर मरुस्थलीय जिलों से किसानों के खेतों पर खड़े खेजड़ी के पेडों के भारी मात्रा में सूखने की समस्या आ रही है। इस संबंध में शुष्क क्षेत्रीय वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने अध्ययन कर कुछ प्रारम्भिक सुझाव प्रस्तुत किये हैं जिसमें मुख्य रूप से अधिकांश पेड़ों में कीड़ों द्वारा नुकसान पहुंचाना बतलाया गया है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं :-

1. चूंकि किसानों के द्वारा खेतों में खेजड़ी के पेड़ों से लूम एवं पातड़ी प्राप्त करने हेतु हर साल भारी मात्रा में छंगाई की जाती है, जिसके कारण इन पेड़ों में कीड़ा लग जाता है । अतः यह छंगाई प्रति वर्ष करने के बजाय एक साल का अन्तराल दिया जाकर दूसरे वर्ष से ही करने के लिए स्थानीय किसानों को सुझाव दिया जाय।
2. छंगाई किये जाने वाले स्थानों पर रासायनिक लेप का प्रयोग किया जाये जिससे किसी प्रकार के कीड़े पेड़ों के अन्दर प्रवेश नहीं कर पाएं। इस रासायनिक लेप को तैयार करने लिए आधा किलो कॉपर कार्बोनेट (Copper Carbonate), आधा किलो रेडलीड (Red Lead), एक किलो पेट्रोलियम जैली अथवा 1.25 लीटर लीनसीड तेल एवं 3 मिली लीटर मोनोक्रोटोफास का घोल लिया जाना उचित होगा। यह घोल लगाने के लिए हाथ के बजाय ब्रुश आदि का प्रयोग किया जावे।
3. रोगग्रस्त सभी सूखे पेड़ों को उखाड़ दिया जाना चाहिए जिससे कि आस-पास के अन्य पेड़ों पर इसका दुष्प्रभाव संक्रमित न हो पाए।
4. किसी पेड़ के आंशिक रूप से सूखने के लक्षण प्रकट होने की स्थिति में तत्काल ऐसे पेड़ों को रासायनिक लेप लगाने का प्रबन्ध करना चाहिए जिससे कि ऐसे पेड़ अधिक क्षतिग्रस्त न हों।

उपरोक्त सावधानीयता के बारे में समय-समय पर किसानों को सूचित किया जावे तथा आवश्यकता को देखते हुए समस्त जिलों के कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से भी इस प्रकार की जानकारी प्रसारित की जावे।

हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक
विकास एवं साझा वन प्रबन्ध
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ3(10)प्रमुवसं/विकास/सावप्र/ 2001-02/804 दिनांक 16.3.2002

प्रायः यह देखने में आया है कि मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षकों के द्वारा राजकीय भूमि/पंचायत भूमि वृक्षारोपण हेतु लेते समय उनकी मौके की स्थिति की जानकारी किए बिना ही विवादास्पद भूमि प्राप्त कर ली जाती है जिससे वृक्षारोपण करते समय कई प्रकार की परेशानियाँ पैदा होती हैं व अतिक्रमियों/लोगों के द्वारा वृक्षारोपण को क्षति पहुँचाई जाती है या नष्ट कर दिया जाता है जिसके फलस्वरूप राजकीय राशि का अपव्यय होता है तथा वृक्षारोपण असफल हो जाता है। अतः निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में जब भी कभी राजकीय/ पंचायत भूमि (गैर वन भूमि) वृक्षारोपण कार्य हेतु अन्य राजकीय विभागों, संस्थाओं/पंचायतों से प्राप्त की जावे तब यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि विवादास्पद नहीं

हो तथा उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो एवं यदि उस भूमि पर किसी प्रकार का विवाद/अतिक्रमण पाया जाता है तो इस प्रकार की भूमि पर वृक्षारोपण न किया जावे व सम्बन्धित विभाग/संस्था को तदनुसार सूचित कर दिया जावे। किसी प्रकार की विवादास्पद भूमि पर वृक्षारोपण हेतु यदि स्थानीय जिला प्रशासन/डी.आर.डी.ए. द्वारा उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी को कहा जाता है तो वे इस प्रकार की भूमि को वृक्षारोपण हेतु लेने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दें व वस्तुस्थिति से अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से मुख्यालय को सूचित करें।

अतः समस्त वनाधिकारियों को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि विवादास्पद राजकीय/पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण किसी भी स्थिति में नहीं करवायें तथा इस प्रकार की भूमि पर वृक्षारोपण करवाया जाता है तथा बाद में वृक्षारोपण को अतिक्रमियों/लोगों द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से क्षति पहुँचाई जाती है तो इस संबंध में उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से की जावे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ21(19)विकास/प्रमुवसं/2002/7848-7968 दिनांक 8 अक्टूबर, 2002

विषय :- विकास कार्यों में पारदर्शिता।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार की नीति के अनुरूप विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाना सभी अधिकारी/कर्मचारियों का कर्तव्य है। अनेक क्षेत्रों में जन प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मंचों पर यह बताया जाता है कि वन विभाग के कार्यों के बारे में उन्हें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। यदि जन प्रतिनिधियों को विकास कार्यों की जानकारी नहीं हो तो किस प्रकार से यह कहा जायेगा कि विकास कार्यों की जानकारी स्थानीय जनता को भी उपलब्ध है?

अतः भविष्य में समस्त उप वन संरक्षक प्रत्येक वर्ष उनके वन मण्डल में किये जा रहे/जाने वाले सभी विकास कार्यों का विवरण, जिसमें कार्यस्थल का नाम, क्षेत्रफल, लागत, उद्देश्य, लगाई जाने वाली प्रजातियों का विवरण संबंधित जिला प्रमुख, संसद सदस्य एवं विधायक को लिखित में उपलब्ध करावें एवं इस हेतु भेजे गये पत्र की प्रति इस कार्यालय को भी भेजें तथा अपने नियंत्रण अधिकारी को भी उपलब्ध करावें। इसी प्रकार वे उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय वन अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे भी अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का सम्पूर्ण ब्यौरा उपरोक्तानुसार पंचायत समिति के प्रधान एवं पंचायत के सरपंचों को भी देते हुए उसकी प्रति मण्डल कार्यालय को भी प्रस्तुत करेंगे। पारदर्शिता की दृष्टि से प्रत्येक कार्यस्थल पर आवश्यक रूप से सूचना पट्ट लगाया जावे जिसमें भी उपरोक्तानुसार सूचना अंकित की जावे। इस प्रकार की सूचना आमतौर पर वर्ष में दो बार अवश्य दी जावे।

(1) मई-जून : जिसमें गत वर्ष की उपलब्धियों का विवरण तथा चालू वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित कार्यों का विवरण हो।

(2) अक्टूबर-नवम्बर : जिसमें किये गये वृक्षारोपणों, विभिन्न प्रकार के डी.एल.टी. तथा अन्य कार्यों का विवरण हो तथा चालू वर्ष में किये जाने वाले अग्रिम कार्यों, निर्माण कार्यों आदि का विवरण हो।

साथ ही यह भी लेख है कि प्रत्येक उप वन संरक्षक / भू-संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में किए गए कार्यों का अवलोकन करने हेतु संबंधित विधायक, सांसद को आमंत्रित करना चाहिए।

सभी वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक इस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे एवं अपने स्तर से भी विभागीय गतिविधियों की जानकारी समय-समय पर जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
(आर.जी.सोनी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ14(जी)2002/वसु/प्रमुवसं/10233 दिनांक 1.11.2002

राज्य के वन क्षेत्रों पर क्षमता से कहीं अधिक बायोटिक प्रेशर के कारण इनमें हरियाली की कमी हुई है, जिसके कारण इनमें पानी नहीं रुकता है और मृदा का क्षरण हो रहा है। इसके कारण इनमें निरन्तर क्षति हो रही है। इनको और अधिक नुकसान से बचाने तथा इनमें सुधार के लिए यह अति आवश्यक है कि निरन्तर आधार पर अधिक से अधिक जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य किए जाएं। विभाग में फण्ड्स तथा रिसोर्सेज की कमी, खासतौर पर अब जब अधिकांश प्रोजेक्ट्स समाप्त हो गये हैं, के कारण यह कार्य, जो अति आवश्यक है नहीं किये जा रहे हैं। अतः यदि इन वनों में सुधार हेतु अन्य विभाग ऐसे ही कार्य उनके फण्ड्स से अकाल राहत या अन्य योजना के तहत करवाना चाहें तो विभाग ने इससे लाभ उठाते हुए इसकी अनुमति देने की अनुशंषा राज्य सरकार से की गई थी।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ1(61)वन/2002 दिनांक 9.9.2002 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अकाल राहत एवं अन्य योजनाओं के कार्य के दौरान वन क्षेत्रों में अन्य विभाग/संस्थाओं के माध्यम से वनों के संधारण तथा विकास हेतु आवश्यक स्थानों पर मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित उप वन संरक्षक की सिफारिश पर वन संरक्षक द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सकती है :-

1. वन क्षेत्र में की जाने वाली इन जल एवं मृदा संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का मुख्य उद्देश्य केवल वन संवर्धन एवं परिस्थितिकीय विकास ही होना चाहिये। इस प्रकार बनाए जाने वाले एनिकट की ऊँचाई 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. बनाये जाने वाले एनीकट आदि से सिंचाई के लिए पानी नहीं लिया जावेगा।
3. ऐसी संरचनाओं का संपूर्ण निर्माण कार्य का तरीका, मय साइट सलेक्शन, आवश्यकता आदि के ठीक उसी तरह होगा जैसा कि वन विभाग स्वयं यह कार्य संपादित करने पर अपनाता।
4. ऐसी समस्त जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पत्थर आदि वन क्षेत्रों के बाहर से ही लाना अनिवार्य होगा।
5. वन क्षेत्र के अंदर कोई श्रमिक शिविर नहीं रखा जावेगा।
6. संबंधित उप वन संरक्षक के मार्गदर्शन में ही वन क्षेत्र के अंदर कार्य किया जावेगा और यदि किसी प्रकार से वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो उप वन संरक्षक की सिफारिश पर वन संरक्षक संबंधित विभाग/संस्था को जारी की गई तकनीकी स्वीकृति को निरस्त कर सकेंगे तथा कार्य तुरन्त बंद करना होगा।
7. इन संरचनाओं पर स्वामित्व वन विभाग का रहेगा।
8. जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का कार्य जो कि वन क्षेत्रों के अंदर किया जावेगा संबंधित विभाग/संस्था उनके विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर

क्षेत्र के संबंधित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उप वन संरक्षक इन प्रस्तावों का तकनीकी रूप से परीक्षण करने के उपरान्त तथा यह आश्वस्त होने के उपरान्त कि प्रस्तावित कार्य वन क्षेत्र के सुधार हेतु आवश्यक है, जो विभाग भी करना चाहता था, अपनी टिप्पणी सहित वन संरक्षक को अनुमति हेतु भेजेंगे जिनके द्वारा इस कार्य को करने की अनुमति जारी की जावेगी।

9. इस संबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सुनवाई संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा की जावेगी तथा उनके द्वारा दिया गया निर्णय सभी को मान्य होगा।

अतः उपरोक्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए अन्य विभाग/संस्थाओं को वन क्षेत्र में जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य करने की अनुमति प्रदान की जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि दी गई अनुमति के अतिरिक्त वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में उल्लेखित कोई गैर वानिकी गतिविधियाँ न हो पायें।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ7(19)2003/विकास/प्रमुवसं/ 10623-752 दिनांक 1 फरवरी, 2003

विभागीय अभिलेखों विशेषकर प्लान्टेशन जर्नल के संधारण के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय द्वारा कई परिपत्र जारी किये गये हैं परन्तु प्लान्टेशन जर्नल सम्भवतः अनेक स्थानों पर आज भी संधारित नहीं किया जा रहा है या निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के सामने यह अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है। प्लान्टेशन जर्नल के अभाव में प्लान्टेशन में वृक्षारोपण संबंधित कार्यवाही सही समय पर की गई थी या नहीं, इसकी जानकारी नहीं रहती। बाद में प्लान्टेशन क्षेत्र के जीवित पौधों के प्रतिशत में कमी पाने की स्थिति में इसका सही तकनीकी आकलन किया जाना कठिन होता है। हाल ही में जन लेखा समिति द्वारा प्लान्टेशन जर्नल उपलब्ध न होने के कारण विभाग को यह हिदायत दी गई है कि प्लान्टेशन जर्नल के संधारण के लिए पुनः स्पष्ट आदेश जारी करें तथा इसके संधारण न होने की स्थिति में व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करें।

अतः इस परिपत्र के माध्यम से पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्लान्टेशन जर्नल सभी कार्यस्थल प्रभारी के पास रहना अनिवार्य होगा एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी / सहायक वन संरक्षक / उप वन संरक्षक / वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक / अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक जो भी प्लान्टेशन के क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे उनके समक्ष प्लान्टेशन जर्नल प्रस्तुत किया जायेगा एवं उस पर वे अपनी टिप्पणी देकर हस्ताक्षरित करेंगे। किसी भी वृक्षारोपण क्षेत्र में प्लान्टेशन जर्नल न होने की स्थिति में कार्यस्थल प्रभारी एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि वन मण्डल में अधिकतर स्थान पर प्लान्टेशन जर्नल नहीं होता है तब संबंधित उप वन संरक्षकों की भी जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी। क्षेत्रीय वन अधिकारी / सहायक वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षक प्लान्टेशन जर्नल पर टिप्पणी अंकित करने के साथ-साथ इसका उल्लेख अपनी दैनिक दैनन्दिनी में भी करेंगे। इसी प्रकार प्लान्टेशन जर्नल पर टिप्पणी अंकित करने के संबंध में अन्य उच्चाधिकारी वर्ग के लिए रखे गये 'मुख्य कार्य बिन्दु' में उल्लेख किया जावेगा। निरीक्षण नोट में भी वे उल्लेख करेंगे कि उन्हें प्लान्टेशन जर्नल कार्यस्थल पर उपलब्ध कराया गया था अथवा नहीं?

ऑडिट के दौरान ऑडिट पार्टी द्वारा प्लान्टेशन जर्नल की मांग करने पर संबंधित उप वन संरक्षक अधीनस्थ क्षेत्रीय वन अधिकारी के माध्यम से प्लान्टेशन जर्नल सामयिक रूप से मंगवाकर ऑडिट पार्टी को अवलोकन करायेंगे। निरीक्षण के समय प्लान्टेशन जर्नल उपलब्ध नहीं कराये जाने पर इसको गम्भीरता से लेते हुए दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे तथा पुनः उस क्षेत्र का जब निरीक्षण करें तो वे यह

भी सुनिश्चित करें कि पूर्व में प्लान्टेशन जर्नल में अंकित टिप्पणी की पूर्ण रूप से पालना हुई है अथवा नहीं? इस प्रकार निर्देशों की पालना न होने की स्थिति में उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज., जयपुर का परिपत्र क्रमांक : एफ ()04/विकास/प्रमुवसं/1277-1396 दिनांक : 1.6.04

परिपत्र

वृक्षारोपण क्षेत्र में साधारणतया लोहे के बोर्ड लगाए जाकर वृक्षारोपण का नाम, वर्ष, क्षेत्रफल एवं अन्य वृक्षारोपण संबंधी सूचनाएं उस सूचना पट्टी पर लिखी जाती है। गैर वन क्षेत्र में गांव के नाम पर वृक्षारोपण का नाम रखे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु वन क्षेत्र में जहां भी वृक्षारोपण किया जाय वहां सूचना पट्टी पर जहां वृक्षारोपण कार्य हो रहा है, उस वन खण्ड का नाम एवं कम्पार्टमेन्ट नम्बर भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे ताकि बाद में रेन्ज एवं मण्डल स्तर पर कम्पार्टमेन्ट हिस्ट्री लिखने में सुविधा रहे। वैसे भी वनों के वैज्ञानिक प्रबन्धन की दृष्टि से कम्पार्टमेन्ट न्यूनतम इकाई है। प्लान्टेशन का बीटगार्ड अपने बीट मेप पर भी दर्शाने का पूरा प्रयास करेगा। यह उल्लेखनीय है कि अब भी वृक्षारोपण स्थल पर आदेशों के विपरीत अग्रिम कार्य को वित्तीय वर्ष के रूप में दर्शाया जा रहा है जो अनुचित है। केवल वृक्षारोपण कलैन्डर वर्ष का ही उल्लेख होना पर्याप्त है।

हस्ताक्षर/-
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(विकास), राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ21(3)04/विकास/प्रमुवसं/3121 दिनांक 15.7.2004

कृषि वानिकी के तहत प्रतिवर्ष एक से डेढ़ करोड़ पौधे प्रदेश में विभागीय वन पौधशालाओं में तैयार कर रियायती दर पर किसानों एवं जन साधारण को उपलब्ध कराये जाते हैं परन्तु वन पौधशालायें सभी जगहों पर नहीं होने के कारण साधारणतया पौधशालाओं के आस-पास 5 से 10 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले व्यक्ति अथवा किसान ही लाभान्वित होते हैं। प्रगतिशील एवं बड़े कृषक जिनकी पौधों की मांग ज्यादा है, वे तो अपने वाहनों से नजदीकी पौधशाला से पौधे परिवहन कर अपने खेत/फार्म पर ले जाते हैं, परन्तु दूरदराज की आम जनता व काश्तकार जिनको केवल 5 से 10 या उससे भी कम मात्रा में पौधों की आवश्यकता रहती है वे इन पौधशालाओं से पौधे प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिये पूर्व में विभाग ने परिपत्र क्रमांक एफ21() 03/विकास/प्रमुवसं/5015 दिनांक 30 अगस्त, 2003 के द्वारा यह सुझाव रखा था कि जहां तक संभव हो दूरदराज के गांवों में ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति तथा उनके अधीनस्थ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विकेन्द्रित पौधशालायें स्थापित की जावें, जिससे कि गांवों की स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप किसानों को आसानी से पौधे उपलब्ध हो सकें। यह प्रक्रिया अपनाने से निश्चित रूप से किसान अपने खेत पर पेड़-पौधे लगा सकेंगे एवं ''हरित गांव व हरित प्रदेश'' का सपना पूरा हो सकेगा।

परन्तु विभिन्न वन मण्डलों से प्राप्त नर्सरी सम्बन्धी सूचनाओं से ज्ञात हुआ है कि अब तक विकेन्द्रित पौधशालायें बड़े पैमाने पर नहीं लगाई गई हैं।

ऐसी स्थिति में कृषि वानिकी कार्यक्रम को गति देने हेतु मण्डल स्तर पर सुनियोजित वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना नितान्त आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में कॉलोनियों में पौध वितरण हेतु वर्षा ऋतु में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में अस्थाई वितरण केन्द्र चलाये जाते हैं, इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजदीकी वन पौधशालाओं से पौधे लेकर ग्राम स्तर पर अस्थाई वितरण केन्द्र संचालित किये जा सकते हैं। विभाग के सीमित संसाधनों को देखते हुये यह कार्य मौजूदा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से चलाया जाना उपयुक्त रहेगा, जिसके लिये ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति वन पौधशालाओं से राजकीय दर पर राशि जमा कराकर अपने क्षेत्र की मांग के अनुसार अनुमानित 500 से 1000 पौधे उठाकर अपने गांव में ले जाकर उन्हें किसानों / ग्रामीणों को वितरित कर सकते हैं, जिसके लिये वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति अधिकतम 20 प्रतिशत (अपनी साधारण सभा का अनुमोदन प्राप्त कर) सर्विस चार्ज के रूप में लाभान्वित किसान/ग्रामीण से राशि वसूल कर सकती है एवं इस प्रकार जो शुद्ध लाभ प्राप्त होगा उसको अपने ग्राम विकास कोष में जमा कर सकेंगे, परन्तु अब से आगामी वर्ष के लिये कृषि वानिकी के लिये विस्तृत ''कार्य योजना'' मण्डल स्तर पर तैयार की जावे एवं ग्रामीणों से उनकी आवश्यकता की प्रजातियों का आकलन कर उन्हीं प्रजातियों के पौधों की विकेन्द्रीय पौधशाला स्थापित कर पौध तैयार कराई जावे।

हस्ताक्षर/-
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(विकास), राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार, वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ15(20)वन/94, जयपुर, दिनांक 20.7.2004

विषय :- कृषि वानिकी के तहत पौधे तैयारी की प्रचलित दर में वृद्धि बाबत् (वर्ष 2004-05)

सन्दर्भ : इस विभाग का समसंख्यक प्रपत्र दिनांक 5.6.2004

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र के अतिक्रमण में वर्ष 2004-05 से वन विभाग से वितरण होने वाले पौधों की निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :-

(1) पौध वितरण की प्रचलित दर 2.00 रुपये एवं 5.00 रुपये को बढ़ाकर क्रमशः 2.50 रुपये एवं 6.00 रुपये की जाती है। उक्त दरें निजी व्यक्तियों, निजी संस्थाओं, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों कृषकों के लिये एक समान ही रखी जाती है।

(2) समस्त राजकीय विभागों/कार्यालयों को निःशुल्क पौध उपलब्ध कराने की व्यवस्था समाप्त की जाती है। अपवाद स्वरूप पाठशालाओं शिक्षण संस्थाओं के परिसरों में पौध रोपित करने के लिये शिक्षण संस्थान के लिखित आवेदन पर अधिकतम 100 पौधे तथा राज्य जिला, उप खण्ड, तहसील/रेंज स्तरीय एवं अन्य स्थानों पर आयोजित सामूहिक वन महोत्सवों के लिये उप वन संरक्षक/ मण्डल वन अधिकारी द्वारा पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराये जावेंगे।

उक्त पौध वितरण की व्यवस्था दिनांक 1.4.2004 से लागू की जाती है। यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 591 दिनांक 9.3.2004 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
विशिष्ठ शासन सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का आदेश क्रमांक एफ2(5)2004-05/लेखा/प्रमुवसं/ 6416 दिनांक 27.7.2004

वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 2219 दिनांक 29.8.1997 द्वारा दी गई सहमति से राज्य सरकार, वन विभाग के पत्रसंख्या एफ13(15)वन/93 दिनांक 18.9.1997 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या एफ22(1)97/विकास/प्रमुवसं/11081-210 दिनांक 17.10.1997 के द्वारा पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली एवं पीस रेट सिस्टम (गैंग मुखिया प्रणाली) के अन्तर्गत कार्य सम्पादन कराने की प्रक्रिया को स्वीकृत किया जाकर यह निर्देशित किया गया था कि पीस रेट कान्ट्रेक्टर एवं गैंग मुखिया को सभी प्रकार के भुगतान नकद न किया जाकर एकाउन्ट्स पेई रेखांकित चैक/रेखांकित डी.डी. द्वारा ही किया जावे।

परन्तु इस कार्यालय के ध्यान में लाया गया है कि वन विभाग के कार्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाकर भारी मात्रा में राशि का ''वन अग्रिम'' क्षेत्रीय वन अधिकारियों को दिया जाकर उनके माध्यम से ठेकेदारों एवं गैंग मुखियों को नकद भुगतान किया जा रहा है, जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसे काफी गम्भीरता से लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के आदेश दिनांक 17.10.1997 में किसी प्रकार का संशोधन करना सम्भव नहीं बतलाया था।

अतः पूर्व में जारी निर्देशों की निरन्तरता में वन अग्रिम आदि के माध्यम से गैंग मुखियों को नकद भुगतान किये जाने की प्रथा को समाप्त किया जाकर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाती है एवं पुनः निर्देशित किया जाता है कि पीस रेट कान्ट्रेक्टर/गैंग मुखिया को सभी प्रकार के भुगतान रेखांकित अकाउन्ट्स पेई (Crossed A/c Payee) चैक/डी.डी. द्वारा ही किया जावे।

इन आदेशों के उल्लंघन में यदि कोई भुगतान नकद किया जाता है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा एवं इसे भुगतानों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उनका समायोजन किया जावेगा तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का प्रकरण दर्ज कर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ की जावेगी।

कृपया उक्त आदेशों की प्राप्ति की रसीद भिजवाते हुए इसकी सख्ती से पालना सुनिश्चित करें।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ19(5)2000-01/क्रय/विकास/ प्रमुवसं/6196 दिनांक 12 अक्टूबर, 2004

अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण राज्य की कतिपय पौधशालाओं में तैयार किये गये पौधों को भारी नुकसान हुआ है, इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के लिये विभाग को ''जन लेखा समिति'' द्वारा हिदायतें दी जाकर इस प्रकार की घटनाओं के न होने के लिये कारगर उपाय करने हेतु निर्देशित किया गया है।

किसी भी स्थान पर स्थाई अथवा अस्थाई पौधशाला स्थापित करने से पहले जैसे मीठे पानी का स्रोत, आवागमन की सुविधा, श्रमिकों की उपलब्धता आदि पर अनिवार्य रूप से ध्यान दिया जाता है, उसी के अनुरूप पौधशाला स्थल का चयन करते समय वहां की भौगोलिक परिस्थितियों एवं भूमि की समतलता पर पूर्ण ध्यान दिया जाकर पौधशाला हर सम्भव सुरक्षित स्थान पर ही सृजित की जानी चाहिये, जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं का कम से कम प्रभाव पड़े। यदि आवश्यक समझें तो ढलान की ओर अतिरिक्त पानी के निकास हेतु एक नाली का निर्माण भी किया जा सकता है।

पौधशाला का चयन करने से पूर्व सभी उप वन संरक्षकगण सम्पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लें कि किसी भी पौधशाला जहां कहीं भी वर्षा के अतिरिक्त पानी का भराव क्षेत्र रहा हो (Low Lying Area) में स्थापित नहीं की जावे।

इसी प्रकार प्रभावित क्षेत्र में नष्ट हो चुके पौधों के बारे में उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजते समय पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के तुरन्त बाद पौधशाला प्रभारी द्वारा तत्काल नर्सरी का निरीक्षण कर सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी को अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये, तत्पश्चात् क्षेत्रीय वन अधिकारी मौके का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार करेंगे तथा अतिवृष्टि एवं बाढ़ से सम्बन्धित समस्त रिकॉर्ड एवं आँकड़ों के साथ सम्पूर्ण सूचना अपने उप वन संरक्षक/ मण्डल वन अधिकारी को 7 योम के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी उक्त सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंचकर स्वयं निरीक्षण कर मौके पर हुये नुकसान का प्रमाणीकरण कर अपना प्रतिवेदन सम्बन्धित वन संरक्षक को प्रेषित करेंगे एवं वे अपनी स्पष्ट टिप्पणी के साथ प्रतिवेदन अपने मुख्य वन संरक्षक को देंगे, जिसकी प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान के कार्यालय में भविष्य के सन्दर्भ हेतु संधारित करने के लिये पृष्ठांकित की जावें।

हस्ताक्षर/-
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(विकास), राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ( )वसं/मेडिप्लांट /2083/दिनांक 25 अक्टूबर, 2004

परिपत्र

प्रदेश में हाईटेक पौधशालाओं की स्थापना के साथ ही विभाग की पौधशालाओं में अच्छी गुणवत्ता के पौधे तैयार करना आवश्यक एवं सुविधाजनक भी हो गया है। विभाग द्वारा इस क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग कर समुचित मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले स्थानीय पारम्परिक एवं औषधीय पौधों की पौध तैयार करनी चाहिए। तैयार किए जाने वाले प्रमुख पौधे निम्न प्रकार हो सकते हैं :

1. **वृक्ष प्रजाति के पौधे :**

   पीपल, बरगद, कलम, अर्जुना, हल्दु, कडाया, बीजासाल, बीलपत्र, कोटबड़ी, अरीठा, सहजना, इमली, बहेडा, आँवला, करंज, जामुन, महुआ, गोन्दा

2. **झाड़ी प्रजाति के पौधे :**

   कटकरंज, कौंच, करौंदा, सीताफल, मरोड़फली, नेगढ़, हारसिंगार, गूग्गल, बज्रदन्ती, पुनरनवा

3. **लता प्रजाति के पौधे :**

   मालकांगनी, शतावरी, नीम-गिलोय, चिरमी

उपरोक्त वर्णित प्रजाति के अलावा विभिन्न एग्रोक्लाईमेन्ट जोन में और भी प्रमुख प्रजातियों के पौधे उपलब्ध हो सकते हैं। पौध तैयारी का कार्य आवश्यक रूप से इसी वर्ष से प्रारम्भ की जानी है। उपरोक्त प्रजातियों की पौध तैयार करने एवं प्लस स्टॉक की जानकारी करने के लिये स्टेट सिल्वीकल्चरिस्ट एवं आरबोरेटम-जयपुर, नाल साडोल, मकोडिया एवं बॉकी रिसर्च फार्म उदयपुर, सरवन डेयरी बांसवाड़ा में पौधशाला प्रभारियों से सम्पर्क करें।

विभाग के अलावा औषधीय पौधों से सम्बन्धित कार्य करने वाली संस्था जैसे - महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय, उदयपुर, रेवासा फार्म झाडोल, कुमावत फार्म जोधपुर, गुग्गल रिसर्च फार्म मांगलियावास आदि से भी अपने स्तर पर जानकारी हासिल की जा सकती है।

उक्त संदर्भित परिप्रेक्ष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त कर प्रगति से इस कार्यालय को समय-समय पर अवगत कराने के साथ-साथ उपरोक्त क्षेत्र में किये गये कार्यों के प्रचार-प्रसार के भी समुचित प्रयास आवश्यक रूप से किये जावें।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ22(1)2004-05/विकास/प्रमुवसं /584 दिनांक 19 अप्रैल, 2005

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ22(2)87/विकास/प्रमुवसं/17769-90 दिनांक 29 सितम्बर, 1990 द्वारा सभी वन संरक्षकों को पत्र (प्रति संलग्न) भेजकर निर्देशित किया गया था कि सुनिश्चित किया जाय कि प्रति श्रमिक दिवस के लिए पीस रेट के आधार पर किये गये चुकारे की दरों एवं दैनिक श्रमिक दर के आधार पर किये गये चुकारे की दर में अप्रत्याशित अन्तर न हो। ऑडिट द्वारा पाया गया कि वर्ष 1999 में विभिन्न वन मण्डलों की पीस रेट में किये गये कार्य के बिल में श्रमिकों को किया गया भुगतान तत्कालीन न्यूनतम मजदूरी की दर की तुलना से काफी अधिक था। कुछ एक स्थानों पर पीस रेट के आधार पर दी गई श्रमिक मजदूरी तत्कालीन भुगतान योग्य न्यूनतम मजदूरी से 2 से 3 गुणा अधिक पाई गई थी। इसके कारणों का विश्लेषण करने पर निम्न कारणों से इस प्रकार अप्रत्याशित अभिवृद्धि होने का संकेत मिला।

1. श्रमिकों द्वारा पीस रेट पर तुलनात्मक रूप से अधिक समय कार्य करने के कारण (8 घण्टे के स्थान पर 12 घण्टे प्रतिदिन कार्य किया)
2. श्रमिकों के साथ-साथ उनके अनेक पारिवारिक सदस्यों द्वारा पीस रेट संविदा में नाम नहीं होने के उपरान्त भी श्रमिक सदस्यों के साथ हाथ बढ़ाने के कारण।
3. बिल पर कार्य दिवस की संख्या निर्धारित रहने के बावजूद अवधि के बाहर अधिक समय तक उपयोग कर बिल प्रस्तुत करने के कारण।

यद्यपि ऑडिट द्वारा बी.एस.आर. की न्यूनतम दर के आधार पर शंका व्याप्त की गई थी, परन्तु यह पाया गया कि जब-जब न्यूनतम मजदूरी की दर में परिवर्तन हुआ है, उस समय संबंधित वृत्त द्वारा बी.एस.आर. दरों में आवश्यक परिवर्तन किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में समस्त वनाधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि पीस रेट पर कार्य करते समय उपरोक्त वर्णित कारणों से जो अप्रत्याशित अभिवृद्धि हो रही है, इस पर नियंत्रण रखा जावे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ( )06/तकनीकी/प्रमुवसं/ 8895 दिनांक 23.6.2006

हमारे राज्य राजस्थान में जलवायु की विषम परिस्थितियाँ होने से लगाये गये पौधों को जीवित रखा जाकर उन्हें पाल-पोस कर बड़ा करना एक बहुत ही चुनौती भरा कार्य है। विभाग के द्वारा करवाये गये वृक्षारोपणों की यदि समयबद्ध रूप से देखरेख की जाती रही तो वे स्थायित्व प्राप्त कर सफल वृक्षारोपण बन जाते हैं। वृक्षारोपणों को सफल बनाने में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले निरीक्षणों एवं दिये गये

मार्गदर्शनों की अहम भूमिका होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में लम्बे अनुभवों के आधार पर यह उक्ति प्रचलन में आयी है ''मास्टर्स फुट एड्स मेन्योर टू द प्लान्टेशन''।

वृक्षारोपणों के निरीक्षणों की इस अहम भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए निरीक्षणों को और अधिक प्रभावी एवं प्रयोजनपूर्ण बनाने की दृष्टि से निम्न निर्देश प्रचलित किये जाते हैं :-

निरीक्षणकर्ता अधिकारी उप वन संरक्षक/ मण्डल वन अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारी किसी भी वृक्षारोपण का निरीक्षण करने के उपरान्त प्रत्येक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में पत्र के साथ संलग्न किये गये प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन भेजेंगे। मण्डल वन अधिकारी पर्याप्त संख्या में प्रपत्र तैयार करवाकर रखेंगे तथा स्वयं निरीक्षण किये जाने पर प्रपत्र मौके पर अधिकारियों को उपलब्ध करवायेंगे ताकि निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन भरा जाना सुनिश्चित हो सके।

दिनांक 1.8.2006 के उपरान्त किये जाने वाले वृक्षारोपण के निरीक्षण के निरीक्षण प्रतिवेदन समस्त वनाधिकारियों द्वारा इन निर्देशों की पालना करते हुए प्रस्तुत किये जावेंगे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

वृक्षारोपणों के निरीक्षण का निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षण अधिकारी का नाम :

पद :

निरीक्षण दिनांक :

i) नाम वृक्षारोपण :

ii) वर्ष वृक्षारोपण :

iii) योजना जिसके अन्तर्गत वृक्षारोपण किया गया :

iv) वृक्षारोपण का क्षेत्रफल :

v) फैन्सिंग का प्रकार (अर्थात् किस प्रकार की फैन्सिंग की गई है) :

vi) निरीक्षण के समय फैन्सिंग की स्थिति (इन्टेक्ट, आंशिक रूप से प्रभावी, अप्रभावी) :

vii) वृक्षारोपण की सुरक्षा की स्थिति (चराई, दीमक, अग्नि, पाले से सुरक्षा) :

viii) कम/अधिक वर्षा की स्थिति :

ix) वृक्षारोपण की भू एवं जल संरक्षण संरचनाओं, थाँवला, चैक डेम, कन्टूर ट्रेंचेज, वी-डिचेज, अर्दन डैम्स, तलाई इत्यादि की स्थिति :

x) वृक्षारोपण के सुरक्षा एवं प्रबन्ध में स्थानीय लोगों की भागीदारी प्राप्त की जा रही है? यदि हाँ तो कैसे?

xi) वृक्षारोपण में जीवित पौधों का प्रतिशत :-

(अ) लगाये गये पौधों की संख्या :

(ब) जीवित पौधों का अनुमानित प्रतिशत :

(स) बीजारोपण से उत्पन्न पौधों की स्थिति :

(द) जीवित पौधों की सामान्यतः स्थिति :-

(1) किस्म

(2) औसतन गोलाई

(3) औसतन ऊँचाई

xii) वृक्षारोपण का ओवर ऑल विकास की स्थिति (लगाये गये प्राकृतिक रूप से पनपे, बीजारोपण से पनपे पौधों को सम्मिलित करते हुए)

xiii) प्लान्टेशन जर्नल संधारण की स्थिति (निरीक्षण नोट प्लान्टेशन जर्नल में अंकित करने की स्थिति सहित)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांक एफ21(18)2006-07/आयो /प्रमुवसं/6785 दिनांक 31.8.2006

जनलेखा समिति 2005-06 के 105 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की क्रियान्विति हेतु विभाग द्वारा वन विकास कार्य करवाये जाने के संबंध में निम्नानुसार स्थाई निर्देश जारी किये जाते हैं। इन निर्देशों की कठोरता से पालना की जावें।

1. वानिकी विकास की किसी भी नवीन परियोजना के क्रियान्वयन में आवासीय व्यय, कार्यालय व्यय तथा अन्य व्यय परियोजना के दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जावे। परियोजना के अन्तर्गत प्रावधान नहीं होने की स्थिति में इस तरह के व्यय हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जाये।

2. किसी भी परियोजना के शुरू करने से पहले परियोजना के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा जावे। उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी प्रयास किये जावें तथा इस तरह की पूर्व में क्रियान्वित की गई योजनाओं का पूर्ण रूप से मूल्यांकन करवाया जावे एवं परियोजना की सफलता का निर्धारण उद्देश्यों की पूर्ति के मद्देनजर ही किया जावे। इन योजनाओं से प्राप्त लाभ को मद्देनजर रखते हुए सफलता का आकलन किया जावे।

3. बाह्य सहायता प्राप्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में कई बार समयबद्ध सारणी के अनुसार नहीं करवाये जाते हैं जिसके कारण दैनिक वेतन में बढ़ोतरी एवं सामग्री के मूल्य में अभिवृद्धि होने से परियोजना की लागत बढ़ती है तथा परियोजना समयावधि में पूर्ण नहीं होने पर राज्य सरकार को अपने मद से भी व्यय वहन करना पड़ता है। अतः भविष्य में समयबद्ध सारणी का पूर्ण ध्यान रखते हुए पौध तैयारी, अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य करवाये जावें। इसके अतिरिक्त निश्चित समयावधि में ही कार्य पूर्ण करवा लिये जावें ताकि राज्य सरकार को कोई अतिरिक्त राशि वहन नहीं करनी पड़े ।

4. कई बार अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य स्थानीय ग्रामवासियों को विश्वास में लिए बिना ही शुरू करवा दिये जाते हैं तथा ग्रामवासियों से विवाद होने के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है तथा वृक्षारोपण असफल हो जाते हैं। अतः भविष्य में स्थानीय ग्रामवासियों को विश्वास में लेकर ही तथा ग्राम्य वन प्रबन्ध एवं सुरक्षा समिति गठित कर वृक्षारोपण कार्य करवाये जावें।

5. कभी-कभी वृक्षारोपण में लगाये जाने वाले पौधों की आवश्यकता से अधिक पौधे तैयार कर लिए जाते हैं, जो अनुपयोगी रहते हैं एवं राज्य सरकार को हानि होती है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम में वृक्षारोपण साइट की आवश्यकतानुसार एवं प्रावधानानुसार ही पौध तैयारी की जावे एवं तैयार किये गये समस्त पौधों का समुचित उपयोग भी सुनिश्चित किया जावे। इसके

अतिरिक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में लगाये जाने वाले पौधों की संख्या से अधिक खड्डे खोद दिये जाते हैं। इससे भी राज्य सरकार को हानि होती है। अतः भविष्य में रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या मॉडल व प्राक्कलन को मद्देनजर रखते हुए ही खड्डे खुदवाये जावें एवं वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करवाये जावें। कई बार परियोजना के प्रावधान एवं प्राक्कलनों के अनुसार व्यय नहीं किया जाकर प्राक्कलनों से भिन्न गतिविधियों पर व्यय कर दिया जाता है तथा कई मॉडलों में निर्धारित पौधों की संख्या से कम पौधे लगाये जाते हैं। बचत राशि के अन्य कार्यों पर या संधारण कार्यों पर व्यय कर दिया जाता है। अतः भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जावे तथा मॉडल को दृष्टिगत रखते हुए प्राक्कलनों के अनुसार ही व्यय किया जावे एवं बचत राशि को समर्पित किया जावे।

6. यह भी देखने में आया है कि कई बार परियोजना के प्रावधानानुसार एवं मॉडल प्रावधान से भिन्न भूमि पर वृक्षारोपण कर दिया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाही से वृक्षारोपण से प्राप्त होने वाले लाभों से स्थानीय समुदाय के व्यक्ति वंचित रह जाते हैं तथा वृक्षारोपण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, अतः भविष्य में परियोजना के प्रावधानानुसार मॉडल में अंकित भूमियों पर ही वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

7. यह भी देखने में आया है कि वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए रखी गई राशि को खाई, एवं वी-डिच निर्माण आदि कार्यों पर व्यय कर दिया जाता है, जो उचित नहीं है। भविष्य में इस तरह का अनियमित व्यय नहीं किया जावे तथा वृक्षारोपण की सुरक्षा यथासम्भव ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से सुनिश्चित की जावे।

8. प्लान्टेशन जर्नल वृक्षारोपण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। प्रत्येक वृक्षारोपण के लिए प्लान्टेशन जर्नल का संधारण किया जाना चाहिए तथा निरीक्षण करने वाले अधिकरियों को वृक्षारोपण जर्नल में टिप्पणी अंकित करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ7(19)2003/विकास/प्रमुवसं/10623-752 दिनांक 1.2.2003 द्वारा सुस्पष्ट निर्देश जारी किए गये हैं। अतः प्लान्टेशन जर्नल के संधारण तथा टिप्पणी अंकित करने के संबंध में उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे।

9. विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिशत से कम की जीवितता के वृक्षारोपणों की विस्तृत जांच के निर्देश दिये गये हैं लेकिन कहीं-कहीं असफल वृक्षारोपणों के संबंध में पूर्ण जांच की कार्यवाही नहीं की जाती है, न ही समुचित रिकॉर्ड संधारित किया जाता है तथा अंकेक्षण दलों को समुचित रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। अतः भविष्य में इस संबंध में इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ7(24)02-03 विभा.वृक्षा.का./प्रमुवसं/10401 दिनांक 31.3.2004 अनुसार वृक्षारोपण कार्य की गणना आदि का कार्य पूर्ण किया जावे तथा इस संबंध में समुचित रिकॉर्ड का संधारण किया जावे एवं अंकेक्षण दलों को समय पर वृक्षारोपण से सम्बन्धित वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जावे।

10. कई बार विभागीय मॉडलों में अप्रत्याशित व्यय के लिए प्रावधान नहीं होता है परन्तु वृक्षारोपण की सफलता के लिए कई अप्रत्याशित कार्य आवश्यक हो जाते हैं। इन पर किया गया व्यय अनुचित मान लिया जाता है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि विभागीय मॉडल तैयार करते समय सभी पहलुओं पर विचार कर मॉडल तैयार किये जाने चाहिए ताकि इस तरह की अनियमितता नहीं हो। इस प्रकार कई वृक्षारोपणों के मॉडल में निर्धारित प्रतिशत के केजुअल्टी रिप्लेसमेंट के प्रावधान के विरुद्ध इससे कहीं अधिक पौधे, मृत पौधों के स्थान पर लगा दिये जाते हैं। अतः मॉडल अनुमान तैयार करते समय इन पहलुओं पर पूर्ण विचार किया जाकर मॉडल तैयार किये जावें। मॉडल से 20 प्रतिशत (+, -) डेविएशन होने तक सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

11. कई बार यह पाया गया है कि पौध संधारण के बजाय पौध संधारण की राशि से पॉलीथीन ग्रेन्यूअल्स का क्रय किया गया है। जनलेखा समिति द्वारा यह व्यय अनियमित माना गया है। अतः भविष्य में पौध संधारण की राशि से ग्रेन्यूअल क्रय नहीं किया जावे।

12. कुछ वन मण्डलों से ऐसे प्रकरण भी ध्यान में आये हैं जिससे पौध वितरण विशेष रूप से निःशुल्क पौध वितरण के संबंध में विभागों से रसीद प्राप्त की जाकर रिकॉर्ड का सही संधारण नहीं किया जाता है। अतः भविष्य में पंचायतों / सरकारी विभाग या निजी संस्थाओं को पौध वितरण की प्राप्ति रसीद तत्काल प्राप्त की जाकर उसका रिकॉर्ड संधारित किया जावे। विभाग द्वारा अन्य विभागों एवं संस्थाओं को उपलब्ध करवाये गये पौधों का रिकॉर्ड संधारण हेतु सम्बन्धित संस्थाओं को भी पाबन्द किया जावे तथा पौधारोपण किस स्थान पर हुआ तथा कितने पौधे जीवित रहे, इसका रिकॉर्ड भी संधारित करवाया जावे।

13. कई बार प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य कारणों से कृषि वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार किये गये कुछ पौधे अवितरित रह जाते हैं तथा वृक्षारोपण न हो पाने से भी पौधे बच जाते हैं, अतः प्रत्येक नर्सरीवार तथा वन मण्डलवार परिपत्र क्रमांक एफ21(13)-89/आयो/प्रमुवसं/7044 दिनांक 12 जून, 1989 के अनुसार उपलब्ध पौधों का पूर्ण लेखा जोखा रखा जावे तथा वन मण्डल स्तर पर अधीनस्थ वन कर्मियों को इस बाबत् विशेष प्रशिक्षण दिया जावे। समय-समय पर विभागीय अंकेक्षण दलों द्वारा भी रिकॉर्ड का अंकेक्षण किया जावे।

14. एनिकट निर्माण कार्यों एवं वृक्षारोपण कार्यों के अग्रवृत्ति वर्षों में लाभों का आकलन करने हेतु समुचित रिकॉर्ड संधारित किया जावे। एनिकट निर्माण एवं वृक्षारोपण कार्यों से पूर्व स्थानीय जल स्तर एवं क्षेत्र से प्राप्त हो रहे लाभों का समुचित आकलन इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ21(19)04/विकास/प्रमुवसं/1155-1275 दिनांक 1.6.2004 के अनुसार कर रिकॉर्ड संधारित किया जावे तथा इसी अनुरूप एनीकट निर्माण एवं वृक्षारोपण कार्य के पश्चात् समय-समय पर प्राप्त होने वाले लाभों तथा जल स्तर में सुधार के आंकड़ों का विश्लेषण किया जावे।

15. सामग्री के परिवहन आदि के बिल भुगतान के समर्थन में परिवहन रसीद वाहन संख्या, सामग्री का स्रोत, रॉयल्टी भुगतान की रसीद इत्यादि अभिलेख संधारित नहीं किये जाते हैं। अतः भविष्य में उक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर ही भुगतान किया जावे एवं पूर्ण रिकॉर्ड संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

16. कई स्थानों पर जनता वन योजना के अन्तर्गत ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति से निर्माण कार्य करवाये जाते हैं। ऐसे कार्यों के तकनीकी मानदण्डों की सुनिश्चितता पर पूर्ण ध्यान दिया जावे ताकि गुणवत्ता एवं विशिष्ठियों पर कुप्रभाव नहीं पड़े।

17. कई बार ऐसे उपकरण क्रय कर लिए जाते हैं जो सहायक सामग्री के अभाव में अनुपयोगी रहते हैं। अतः ऐसे उपकरण क्रय करने से पूर्व सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर ही बजट आवंटन की कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि बड़ी राशि के उपकरण निष्क्रय नहीं पड़े रहें। क्रयकर्ता अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि क्रय किये गये उपकरण पूर्ण रूप से योजना हेतु लाभकारी हो तथा पूर्ण मशीनरी क्रियाशील हो।

18. यह पाया गया है कि कुछ वन मण्डलों द्वारा प्रत्येक वर्ष करवाए गए वृक्षारोपण कार्यों की इन्वेन्ट्री का रिकॉर्ड सही रूप से संधारित नहीं किया जाता है। यद्यपि वानिकी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा समय-समय पर आयोजित पुनश्चर्या कार्यक्रम में रिकॉर्ड संधारण पर विशेष सत्र आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ वन कर्मियों द्वारा रिकॉर्ड संधारण कार्य को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है, अतः निर्देशित किया जाता है कि गम्भीरतापूर्वक सही प्रकार से रिकॉर्ड संधारित किया जावे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार, वन विभाग का परिपत्र क्रमांक प.1(4)वन/96 पार्ट जयपुर दिनांक 2.9.2006 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र पृष्ठांकन क्रमांकः एफ16(एनओसी)98/वसु/प्रमुवसं/8301 दिनांक 22.9.2006

राजकीय/सामुदायिक गैर वन भूमि में वन विभाग द्वारा राजकीय व्यय से कराये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों में गैर वानिकी कार्य करने हेतु भारत सरकार के पत्रांक एफ11-37/2003-एफसी दिनांक 30.8.2005 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट पिटीशन संख्या 202/95 में दिनांक 12.12.1996 को दिये गये निर्णय की अनुपालना में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे क्षेत्र जो कि अधिसूचित वन क्षेत्र, राजकीय रिकॉर्ड में दर्ज वन क्षेत्र एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में गठित समिति की अनुशंषा पर सम्मिलित वन क्षेत्रों को छोड़कर, राजकीय/सामुदायिक गैर

वन भूमि पर वन विभाग द्वारा राजकीय व्यय से कराये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों का उपयोग गैर वानिकी गतिविधियों हेतु करने की अनुमति एतद् द्वारा निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

1. ऐसी भूमियों के बनेतर उपयोग हेतु आवेदनकर्ताओं/उपभोक्ता एजेन्सी से, आवंटित की जाने वाली भूमि के दुगने गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की वर्तमान दरों से राशि का भुगतान लिया जावेगा। यह दरें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वर्तमान दरों के अनुरूप होंगी। उक्त राशि से परिभ्रांषित वनभूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जावेगा।
2. आवेदनकर्ता/उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा ऐसी भूमियों पर खड़ी वन सम्पदा के मूल्य का भुगतान बाजार दर पर वन विभाग को किया जावेगा तथा वन सम्पदा का विदोहन अपने खर्चे पर कर नजदीक के वन विभाग की चौकी/नाका/रेंज कार्यालय तक ऐसी सम्पदा का परिवहन कर वन विभाग को सम्भलाया जायेगा।
3. आवेदित राजकीय/सामुदायिक गैर वन भूमि जिस विभाग/संस्था की है, उसकी पूर्वानुमति आवेदनकर्ता/उपभोक्ता संस्था द्वारा प्राप्त की जावेगी।
4. आवेदनकर्ता/उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा आवंटित क्षेत्र को अलग करते हुए नियमानुसार सैफ्टीजोन (हरित पट्टी) विकसित की जायेगी, जिससे आस-पास की वन सम्पदा को कोई नुकसान नहीं होवे।
5. आवेदनकर्ता/उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के सभी नियमों की पालना की जावेगी एवं इसके अतिरिक्त स्थानीय नियम, यदि कोई हों तो उनकी भी पालना की जावेगी।
6. उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर उक्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए गैर वानिकी कार्य को उपयोगिता एवं वृक्षारोपण के पारिस्थितिकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए उच्च कार्यालय को सूचित करते हुए जारी किये जा सकेंगे।

हस्ताक्षर/-
(सुदर्शन सेठी)
शासन सचिव, वन

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ5( )2007/विकास/प्रमुवसं/9242 दिनांक 19.9.2007

प्रायः यह देखा गया है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा वन विकास एवं वन्य जीव कार्यों हेतु प्रस्ताव तैयार करके सीधे ही अन्य विभागों, संस्थाओं एवं केन्द्र सरकार को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किये जाते हैं जिनकी राज्य स्तर/मुख्यालय स्तर पर कोई जानकारी नहीं होती है तथा इस संबंध में राज्य स्तर पर भी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार सीधे प्रस्ताव भेजकर राशि प्राप्त करना अनुचित मानकर गम्भीरतापूर्वक लिया गया है।

अतः इस परिपत्र के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कोई भी विकास योजना संबंधी प्रस्ताव कहीं भी भेजने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से लेना सुनिश्चित करें।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ21(20)2006-07/आयो/प्रमुवसं /905-1025 दिनांक 3.5.2008

दिनांक 9.1.2008 को अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत गठित ''राज्य स्तरीय दिशा-निर्देशन समिति'' की आयोजित बैठक में निर्देश प्रदान किये हैं कि वन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को पौध विकास हेतु उपलब्ध करवाये जाते हैं, उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जावे। इसके लिये यह आवश्यक है कि पौध वितरण में लाभान्वित अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों का समुचित रिकॉर्ड संधारित किया जावे। पूर्व में कृषि वानिकी के तहत कीमतन, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आधी कीमत, पौध वितरण किये जाने पर पौध वितरण के संबंध में पौधशालाओं एवं मण्डल स्तर पर पंजिकायें संधारित करने के लिये विस्तृत दिशा- निर्देश इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ.21(13)-89/आयो/प्रमुवसं/7044 दिनांक 12 जून, 1989 से प्रसारित किये गये थे। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ15(20)वन/94 दिनांक 20.7.2004 से समस्त के लिये पौध वितरण की एक समान दर लागू कर दी गई है।

इसके उपरान्त आशा है कि पौध विकास हेतु पौध वितरण से लाभान्वित व्यक्तियों का रिकॉर्ड पूर्वोक्त परिपत्र में निर्धारित पेशानी में संधारित किया जा रहा होगा। राज्य स्तरीय दिशा निर्देशन समिति की बैठक में दिये निर्देश के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि पौध वितरण के लिये निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति को वितरित किये गये पौधों को आवश्यक रूप से दर्ज कर उनके विकसित होने की मॉनिटरिंग की जावे तथा सूचना मुख्यालय को प्रेषित की जावे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ 21 (19) 2004-05/विकास/प्रमुवसं

ऑपरेशन मिलियन नीम

नीम की बहुत उपयोगिता के कारण अधिक से अधिक नीम के पौधे राज्य के सभी जिलों में लगाना/उगाना उचित है। विभिन्न जिलों जहां नीम बहुतायत से पाया जाता है यथा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, सिरोही, पाली, जालौर, जोधपुर, कोटा, बून्दी, झालावाड़ एवं बारां आदि में नीम के लगभग 50,000 से 1.00 लाख पौधे तैयार करने की निम्नानुसार कार्य योजना पर अमल करें :-

1. जून-जुलाई माह में नीम के अच्छे पौधों (प्लस ट्री) का बीज इकट्ठा करवायें। यह कार्य स्टाफ एवं ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के सदस्यों से कराया जाना है। ध्यान रहे नीम बीजों की जीविता अवधि लगभग 20 से 25 दिन मात्र ही होती है। बीज एकत्रीकरण के लिये आपके वन मण्डलों में कार्यरत वन सुरक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा चयनित विशिष्ठ पेड़ों से जून के उत्तरार्द्ध में प्रचुर मात्रा में नीम के बीज एकत्रित करावें। एक दिन पश्चात् बीजों के ऊपर से गुदा हटाकर पानी में साफ कर हलकी धूप में सुखा दें। इन बीजों को बोरी में भरकर उप वन संरक्षक उपयुक्त स्थानों पर भेज दे।
2. प्रत्येक नर्सरी में लगभग 50,000 से 1.00 लाख पौधे तैयार करने का लक्ष्य रखते हुए आवश्यकतानुसार मदर बेड्स में नीम बीजों की बुवाई करायें।
3. वन क्षेत्रों में थोर, खैर एवं स्थानीय झाड़ियों के बीच में नीम बीजों की बुवाई (ड्रिबलिंग) करायें। झाड़ियों में बीज बुवाई के लिये नीचे दिये

चित्रानुसार एक औजार (ओरणां) स्थानीय स्तर पर तैयार करवावें।

लोहे के एक इंच व्यास के लगभग 3 मीटर लम्बे पाइप या पोला बांस के एक सिरे पर लोहे की कीप एवं दूसरे सिर पर चपटी, धारदार छोटी खुरपी, बोल्ड करवायें। धारदार खुरपी से झाड़ी के अन्दर की जमीन को पोली कर नोच बनावें। नोच बनाते समय ही कीप एवं पाइप के माध्यम से 1-2 नीम के बीज भी नोच में डाल देवें। आवश्यक होने पर कीप के माध्यम से जल भी उगे हुए नीम के पौधों में दिया जा सकता है।

2 लीटर का पानी का पात्र बीज व पानी डालने हेतु

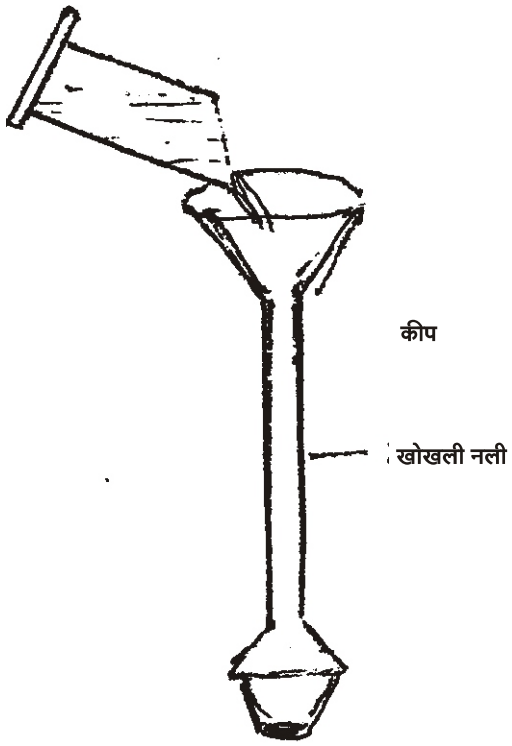

बेलचे की शक्ल का सिरा मिट्टी खोदने व बीज डालने हेतु

4. उक्तानुसार तैयार किये गये औजार से किसानों द्वारा स्वयं के खेतों में अथवा खेतों की मेड़ों पर उपलब्ध झाड़ियों तथा वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा वृक्षारोपणों में नीम के बीज की बुवाई करवाई जावे। दक्षिणी राजस्थान में खेतों में या घास उगवाने हेतु तैयार किये गये बीड़ों में कृषक थोर लगाकर बाड़ करते हैं। पाला पड़ने वाले स्थानों पर नीम बीज बुवाई करवाना उचित नहीं होगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्थानीय ग्रामवासी, स्कूली छात्र छात्रा, राजस्थान इको क्लब (स्काउट्स एवं गाइड), नेहरू युवक केन्द्रों, उत्साही पर्यावरण प्रेमी, स्वयंसेवी संस्थाएं, ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के सदस्यों को एकत्रित कर बीजारोपण विधि को समझाएं एवं तत्पश्चात् दासे-तीन घण्टे तक उनके द्वारा विभागीय देख-रेख में किसानों द्वारा खेतों के किनारे पर लगाये गये थोर में, वन तथा पड़त भूमि पर उपलब्ध थोर एवं कांटेदार अन्य झाड़ियों के बीज बीजारोपण वर्षा के दौरान कराया जावे। इस प्रकार अभियान चलाकर प्रत्येक वन मण्डल अपने-अपने क्षेत्र में 100 लाख नीम तैयार करने का प्रयास करें। इससे वन क्षेत्रों को स्थायित्व भी प्राप्त होगा।

उपरोक्तानुसार नीम बुवाई के उल्लेखनीय कार्य को उप वन संरक्षकगण उपलब्ध बजट प्रावधान से ही करा सकते हैं। इस कार्य हेतु बजट प्रावधान के स्थान पर आपका संगठन कौशल अधिक जरूरी होगा।

हस्ताक्षर/-
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(विकास), राजस्थान, जयपुर

Government of Rajasthan, Department of Forests letter No. F.7(27)Forest/1995 Jaipur, Dated 1 July, 2008 Office of the Principal Chief Conservator of Forests Rajasthan, Jaipur endorsement No. F2(5)04-05/II/ Acctts/ PCCF/10652-840 dated 7.7.2008.

Sub.: Delegation of Financial Powers to the Officers of the Forest Department.

In supersession of this department order No. F.7(27)Forest/95 dated 25.7.97, 3.6.08 and 11.6.08 the Governor is hereby pleased to delegate the following financial powers to the officers of the Forest Department as under :-

No.	Nature of Power	Post/Designation	Extent to which powers delegated
1.	To accord technical sanction for original, revised or supplementary estimates for forestry and soil conservation works subject to the condition that fresh administrative sanction is sought if the revised of supplementary estimates exceeds the original by 20% or above.	CCF CF	Full Powers Rs. 100 lacs each case
		DCF/SCO/SRO/ Dy. CWLW	Rs. 50 lacs each case
Note : If RE/Supplementary Estimates exceed the original by 10% or more, fresh administrative sanction is to be sought.			
2.	To accord technical sanction for original, revised or supplementary estimates for construction of buildings and other civil works subject to the condition that fresh administrative sanction is sought if the revised or supplementary estimates exceed the original by 20% or above.	CCF	Full Powers
		CF	Rs. 7 lacs in each case
		DCF/SCO/SRO/ Dy. CWLW	Rs. 5 lacs in each case
Note 1 : Below district headquarters the Forest Department is authorised to undertake construction of building and other civil works on forest land as well as on non-forest land. At district headquarters the Forest Department is authorised to undertake construction of building and other civil works on forest land only. The procedure laid down in GF & AR Rule 235 to 251 will be followed.			
The works other than above shall be executed through PWD/RSBCC or other engineering departments.			
Note 2 : In case the revised estimate exceeds more than 10% of the original it will be sanctioned by the next higher authority.			
3.	The purchase stores (Capital and Revenue both) for works subject to budget provision, including tools and plants.	CCF	Full Powers
		CF	Rs. 7 lacs in each case
		DCF/SCO/SRO/ Dy. CWLW	Rs. 2 lacs in each case
Note : These powers shall be exercised subject to procedure laid down in GF & AR.			
4.	To accept tenders for the execution of a sanctioned work or part of sanctioned work on contract / piece rate contract basis subject to the budget provision.	CCF	Full Powers
		CF	Rs. 30 lacs
		DCF/SCO/SRO/ Dy. CWLW	Rs. 20 lacs
5.	To grant rewards / awards to any Government servant/ other person organisation/ society for acting informers from secret funds.	CCF	Full Powers
		CF	Rs. 0.05 lac in each case

		DCF/SCO/SRO/ Dy. CWLW	Rs. 0.03 lac in each case
Note : These powers shall be exercised subject to norms laid down by the State Government separately and availability of budget provision.			
6.	To sanction expenditure on fire protection measures in case of emergency.	CCF CF DCF/SCO/SRO/ Dy. CWLW	Full Powers Rs. 0.50 lac Rs. 0.20 lac
7.	Petty Sales (not by public auction) of the forest produce at prevailing market rate.	CCF	Rs. 0.20 lac in each case
		CF	Rs. 0.10 lac in each case
		DCF/SCO/SRO/ Dy. CWLW	Rs. 0.05 lac in each case
Note : Petty sales should not cross following limits in a financial year :- CCF Rs. 1.00 lac and other Rs. 0.50 lac.			
8a.	To sell the harvested produce by open auction or by inviting sealed tenders	By the following Committees **Committee A**	Full powers
		CF, DOC – Chairman CF, Territorial – Member	
		DCF, DOD – Convenor	
		Sr. Most Accounts Officer of the DOC – Member	
		Committee B	Rs. 30 lacs
		CF, DOC	
		DCF, DOD	
		Sr. Most Accounts Officer of the DOC	
		Committee C	Rs. 15 lacs
		DCF, DOD	

		Range Officer Accounts Personnel of Dy. CF DOD	
		Committee D DCF Territorial Range Officer Concerned Accounts Personnel of CF/ CCF	Rs. 5 lacs
8b.	Fixing retail sale rates of forest produce and finished goods.	DCF DOD	Full powers subject to the approval of the committee 'A' at 8a
9.	The powers to write off losses in addition to permissible driage in case of firewood and shortage in charcoal powder.	CCF	5% of each stock of forest produce above Rs. 30000 (Subject to the condition as laid down in rule 23 of GF&AR)
		CF	5% of each stock of forest produce up to Rs. 30000 (Subject to the condition as laid down in rule 23 of GF&AR)
		DCF, DOD	5% of each stock of forest produce up to Rs. 10000 (Subject to the condition as laid down in rule 23 of GF&AR)
10.	To sanction refund of security deposits to contractors on satisfactory completion of marginal and repair works afterlapse of specified period, if any	DCF/SCO/SRO/ Dy. CWLW	Full Powers

11.	Hiring of Vehicles	DCF/SCO/SRO/ Dy. CWLW	As per provision of item 2(g) of GF&AR (Part III)

The issues with the concurrence of the Finance Department vide their I.D. No. 205 dated 27.5.2008.

By Order
Signature
(Virender Singh)
Additional Secretary, Forest

वन विकास (नरेगा)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ14(जी)2002/वसु/प्रमुवसं/ 3696 दिनांक 6.5.2006

राज्य के वन क्षेत्रों में जल एवं मृदा संरक्षण के अधिक से अधिक कार्य कराया जाना वन क्षेत्रों के विकास हेतु अत्यन्त आवश्यक है। वन क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्य हेतु विभागीय धनराशि पर्याप्त नहीं होने के कारण यह भी आवश्यक है कि सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि से भी इस प्रकार के कार्य अधिक से अधिक संख्या में कराये जायें। राज्य के कुछ जिलों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो गया है। इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर ही मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। राज्य के जिन जिलों में यह योजना प्रारम्भ की गई है, उनमें से अधिकतर में वन क्षेत्र बहुत बड़े क्षेत्रफल में हैं एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिये इन वन क्षेत्रों में कार्य खोले जाना आवश्यक है।

वन विभाग के माध्यम से ऐसे कार्यों को कराने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु वन विभाग के पास संसाधन सीमित होने के कारण एक सीमा से अधिक कार्य वन विभाग के माध्यम से खोला जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस परिस्थिति में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वन क्षेत्र में विकास कार्य विशेषकर जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य अन्य विभागों/एजेन्सियों के माध्यम से कराये जा सकते हैं। इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ14(जी)2002/वसु/प्रमुवसं/10233 दिनांक 1.11.2002 द्वारा वन क्षेत्र में अन्य विभागों/संस्थाओं के माध्यम से मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण हेतु यह प्रावधान किया गया था कि ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित उप वन संरक्षक की सिफारिश पर वन संरक्षक द्वारा जारी परिपत्र में निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसी क्रम में इस कार्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ14(जी)2002/वसु/प्रमुवसं/3313 दिनांक 2.5.2006 भी जारी किया गया था।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार हेतु स्थानीय स्तर पर तत्काल काम खोलने के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए पूर्व में जारी परिपत्रों में इस प्रकार संशोधन करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है, जिससे एक तरफ तो स्थानीय स्तर पर कार्य विशेषकर जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य सुगमता एवं शीघ्रता से वन क्षेत्र में खोले जा सकें वहीं दूसरी तरफ वन क्षेत्र में ऐसी कोई गतिविधि नहीं हों जिन्हें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी गतिविधियाँ कहा जा सके।

राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों में वन विभाग के अतिरिक्त किसी भी अन्य विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जावेगा।

उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए पूर्व परिपत्र क्रमांक एफ14(जी)2002/वसु/प्रमुवसं/10233 दिनांक 1.11.2002 एवं क्रमांक 3313 दिनांक 2.5.2006 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित व्यवस्था स्थापित की जाती है कि जिन जिलों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है, उन जिलों में वन क्षेत्र में जल एवं मृदा संरक्षण के कार्यों को वन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों एवं संस्थाओं के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है :-

1. वन क्षेत्र में की जाने वाली इन जल एवं मृदा संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का मुख्य उद्देश्य केवल वन संवर्धन एवं पारिस्थितिकीय विकास ही होना चाहिये।

2. इस हेतु बनाये जाने वाले एनिकट की ऊँचाई 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में सिंचाई/जल संसाधन विभाग द्वारा जारी शर्तों की अनुपालना भी वांछनीय होगी। कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति सम्बन्धित उप वन संरक्षक को पृष्ठांकित की जावेगी।

3. बनाये जाने वाले एनिकट अथवा अन्य संरचनाओं आदि से सिंचाई के लिये पानी नहीं लिया जावेगा।

4. ऐसी समस्त जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लिये आवश्यक सामग्री जैसे पत्थर एवं रेत आदि वन क्षेत्रों के बाहर से ही लाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि वन संपदा एवं वन्य जीव-जन्तुओं को हानि नहीं पहुंचायी जावे।

5. वन क्षेत्र के अन्दर कोई श्रमिक शिविर नहीं रखा जावेगा। वन क्षेत्र में श्रमिकों को छाया इत्यादि उपलब्ध कराने की व्यवस्था अस्थायी प्रकार से ही की जाये तथा वन क्षेत्र में स्वीकृत कार्य को संपादित कराने के नाम पर कोई व्यक्ति वन क्षेत्र में निवास नहीं करे।

6. यदि सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा किसी प्रकार से वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है तो उसकी सिफारिश पर जिला कलेक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभाग/ संस्थाओं को जारी की गयी स्वीकृति को निरस्त करना होगा तथा कार्य तुरन्त बन्द करना होगा।

7. इन संरचनाओं पर स्वामित्व वन विभाग का रहेगा।

8. कार्य/कार्य स्थल के संबंध में कोई विवाद होने पर संबंधित कार्यकारी प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी एवं संबंधित सहायक वन संरक्षक/उप वन संरक्षक द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण करने के उपरांत समाधान किया जावेगा। यदि इससे समाधान नहीं होता है तो उसकी सुनवाई वन संरक्षक द्वारा की जावेगी तथा उनके द्वारा दिया गया निर्णय सभी को मान्य होगा।

9. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी प्रशासनिक स्वीकृतियों में जिला कलेक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तों का उल्लेख किया जावेगा जो कार्यकारी संस्थाओं के लिये बाध्यकारी होगा। इन स्वीकृतियों की एक प्रति सम्बन्धित उप वन संरक्षक को आवश्यक रूप से दी जायेगी।

10. वन क्षेत्र में जिस विभाग को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है उस विभाग के सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी। इस प्रकार प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

11. स्वीकृत कार्यों में जिन कार्यों के सम्बन्ध में कार्यकारी अन्य विभाग जैसे पंचायती राज विभाग इत्यादि हैं, के फील्ड स्तर के कार्मिकों द्वारा कार्य शुरू कराये जाने से पूर्व वन विभाग के स्थानीय क्षेत्रीय वन अधिकारी /वनपाल/सहायक वनपाल/वन रक्षक को कार्य का मौका दिखा दिया जायेगा जिसका उपयुक्त रिकॉर्ड सम्बन्धित रेंज कार्यालय में रखा जावेगा। वक्त निरीक्षण वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान वन अधिनियम 1953 एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तथा इनके तहत बनाये गये विभिन्न नियम एवं परिपत्रों का उल्लंघन पाया जावे तो तत्काल प्रकरण उप वन संरक्षक को रिपोर्ट किया जावेगा जो तत्काल इसे रुकवाने की कार्यवाही करेंगे।

12. सम्बन्धित उप वन संरक्षक ऐसी प्राप्त स्वीकृति के आधार पर यदि यह पाते हैं कि कोई कार्य ऐसा स्वीकृत हो गया है जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी गतिविधि में आता है तो उस कार्य की निरस्ती हेतु वे तत्काल जिला कलेक्टर को सूचित करेंगे, जो उप वन संरक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें तत्काल निरस्त करेंगे।

अतः उपरोक्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए अन्य विभाग/संस्थाओं को वन क्षेत्र में जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य करने की अनुमति

प्रदान की जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि दी गई अनुमति के अतिरिक्त वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में उल्लेखित कोई गैर वानिकी गतिविधियाँ न हो पायें।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का परिपत्र क्रमांक एफ4(42)ग्रा.वि./आरई/एनआरईजी/ ग्रुप-3/06-07/ जयपुर दिनांक 22.3.2007

विषय :- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों का निरीक्षण।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों का समय-समय पर गहन निरीक्षण जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों द्वारा अपेक्षित है। इस संबंध में राज्य सरकार से पूर्व में दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे लेकिन हाल ही में जिला डूंगरपुर व उदयपुर के कार्यों की सामाजिक अंकेक्षण में कई ऐसी गम्भीर अनियमितताएँ सामने आई हैं जिनको प्रभावी निरीक्षण एवं परिवेक्षण से रोका जा सकता है। इस संबंध में इन अनियमितताओं संबंधी संबंधित जिला कलेक्टर को पत्र क्रमांक PS/RD&PR/2007/ 143-148 दिनांक 7.3.2007 द्वारा सूचित कर दिया गया है।

इसलिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों का समस्त अधिकारियों द्वारा गहन निरीक्षण समय-समय पर किया जाए। निरीक्षण के दौरान सिर्फ मजदूरों की हाजिरी चैक नहीं की जाए बल्कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विभिन्न पहलुओं पर मजदूरों से व ग्राम में लोगों से चर्चा कर जानकारी भी प्राप्त की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु स्टैंडर्ड चैक लिस्ट तैयार की गई है जो इस परिपत्र के साथ परिशिष्ट-1 संलग्न है। समस्त अधिकारी निरीक्षण के दौरान चैक लिस्ट में अंकित सभी बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तुत करेंगे। निरीक्षण प्रतिवेदन अगले उच्च अधिकारी को निरीक्षण अवधि के पश्चात् दो दिन के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी के कार्यालय में इन निरीक्षण प्रतिवेदनों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और जो कमियाँ निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित की जाती हैं, उनको दूर करने हेतु प्रभावी कदम उठाने का उत्तरदायित्व नियंत्रक अधिकारी का भी होगा। विदित रहे कि निरीक्षण व्यवस्था सिर्फ कार्यों में दोष ढूंढने के लिए ही नहीं है बल्कि कार्य पद्धति में इस तरह से सुधार लाने हेतु है कि भविष्य में अनियमितताएँ पुनः नहीं दोहराई जाएं।

प्रत्येक अधिकारी हेतु निरीक्षण के मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं जो परिशिष्ट-2 अनुसार हैं। जिला कलेक्टर अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त अधिकारी की वह स्वयं परिशिष्ठ-2 में अंकित समस्त अधिकारी इन मापदण्डों अनुसार कार्यों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित अधिकारी को समय पर प्रस्तुत करते हैं। इन कार्यों की समीक्षा प्रति माह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक में नियमित रूप से की जाए।

इन आदेशों की सख्ती से पालना की जाए।

हस्ताक्षर/-
(राम लुभाया)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

परिशिष्ट-1

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों का निरीक्षण प्रतिवेदन

1. सामान्य

(i) ग्राम ..... पंचायत ..... पंचायत समिति ..... जिला .....

(ii) निरीक्षण दिनांक .....

(iii) पूर्व में किस-किस अधिकारी / जनप्रतिनिधि ने इस कार्य का निरीक्षण किया :-

	नाम अधिकारी / जन प्रतिनिधि	निरीक्षण दिनांक
1.	.....	.....
2.	.....	.....

2. कार्यस्थल का निरीक्षण

(i) कार्य का नाम .....

(ii) कार्यकारी एजेन्सी .....

(iii) कार्य प्रारम्भ होने की तिथि .....

(iv) क्या कार्यस्थल पर निर्देशानुसार बोर्ड लगा है जिस पर समस्त सूचनाएँ प्रदर्शित हैं? हाँ / नहीं

(v) क्या मस्टररोल कार्यस्थल पर ही रखा है ? हाँ / नहीं

(vi) (1) मस्टर रोल में अंकित मजदूरों की संख्या .....

(2) हाजिरी चैक करने पर कार्य पर उपस्थित मजदूरों की संख्या .....

(3) यदि (1) एवं (2) में भिन्नता है तो निरीक्षण अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाई गई गयी? .....

(vii) पिछले पखवाड़े का भुगतानशुदा मस्टररोल से प्राप्त कर मजदूरों के सामने निरीक्षण अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया जावेगा व निम्न बिन्दुओं की जाँच की जावेगी :-

(1) क्या मस्टररोल में कोई फर्जी नाम दर्ज पाया गया? यदि हाँ तो कितने? .....

(2) भुगतान की गई मजदूरी संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई? विवरण अंकित करें। .....

(3) यदि उपरोक्त शिकायतें पाई गईं तो निरीक्षण अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण .....

(viii) निरीक्षण अधिकारी मजदूरों से चर्चा कर निम्न बिन्दुओं की सूचना अंकित करें :-

(1) क्या किसी मजदूर की शिकायत है कि उसके मांगने पर उसे कार्य पर लगाने में देरी की गई? हाँ / नहीं

	(2)	क्या गाँव में ऐसे परिवार/व्यक्ति हैं जो मजदूरी करने हेतु तैयार हैं लेकिन उन्हें कार्य पर नहीं लगाया गया?	हाँ / नहीं
	(3)	क्या गाँव के किसी पात्र परिवार का योजना के अन्तर्गत पंजीयन नहीं किया गया? यदि हाँ तो विवरण दें।	हाँ / नहीं
	(4)	क्या कोई परिवार जिसका पंजीयन हो चुका है लेकिन उसे जॉब कार्ड जारी नहीं किया?	हाँ / नहीं
	(5)	क्या कार्य जो मशीन द्वारा कराया गया फर्जी मस्टररोल भरकर भुगतान दिखा दिया गया?	हाँ / नहीं
	(6)	क्या गाँव के किसी ऐसे परिवार / व्यक्ति का पंजीयन कर जॉब कार्ड जारी किया है जो गाँव में नहीं रहता?	हाँ / नहीं
	(7)	क्या एक परिवार से एक से अधिक सदस्य को कार्य पर लगाने हेतु मेट द्वारा मना किया जाता है?	हाँ / नहीं
		यदि उपरोक्त अनियमितताएँ हैं तो निरीक्षण अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही	
(ix)		कार्य स्थल की सुविधाएँ :-	
	(1)	छाया की व्यवस्था	है / नहीं
	(2)	पेयजल की व्यवस्था	है / नहीं
	(3)	पालने की व्यवस्था	है / नहीं
	(4)	मेडिकल किट	उपलब्ध / नहीं
	(अ)	क्या ANM मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करती है?	हाँ / नहीं
(x)		क्या मजदूरी का भुगतान समय पर व पंचों/सतर्कता समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जाता है?	हाँ / नहीं
(xi)		कार्य की गुणवत्ता	
	(1)	कार्य तकनीकी मापदण्ड अनुसार किया जा रहा है?	हाँ / नहीं
	(2)	तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु कनिष्ठ / सहायक अभियन्ता क्या नियमित निरीक्षण करते हैं? इस कार्य का निरीक्षण किस-किस तिथि को किया? क्या उनके सुझाव कार्य की निरीक्षण पंजिका में दर्ज हैं?	हाँ / नहीं
	(3)	कार्य के उपयोग में लाई जा रही सामग्री की मात्रा या गुणवत्ता संबंधी जनता की कोई शिकायत है?	हाँ / नहीं
	(4)	क्या कार्य उपयोगी है? यदि नहीं तो क्यों ?	हाँ / नहीं
(xii)		योजना के प्रचार-प्रसार की स्थिति का आकलन	हाँ / नहीं
	(क)	क्या मजदूरों को निम्न जानकारी है? (मजदूरों से पूछ कर अंकित करें)	
	(1)	वर्ष में 100 दिन का रोजगार उनका कानूनी अधिकार है।	हाँ / नहीं

(2)	वह वर्ष के दौरान कभी भी कार्य मांग सकते हैं व कार्य हेतु प्रार्थना पत्र देने के 14 दिन में उन्हें रोजगार दिया जावेगा अन्यथा बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।	हाँ / नहीं
(3)	प्रत्येक सप्ताह का भुगतान पखवाड़े के अन्दर-अन्दर मिलना उनका कानूनी अधिकार है? यदि नहीं मिले तो उन्हें ब्याज राशि देय है।	हाँ / नहीं
(4)	परिवार का एक से अधिक वयस्क सदस्य भी कार्य पर लग सकता है	हाँ / नहीं
(5)	अनुसूचित जाति व जनजाति की निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी व भूमि विकास के कार्य इस योजना में कराए जा सकते हैं	हाँ / नहीं
(6)	योजना के अन्तर्गत कोई भी परिवार पंजीयन करवाकर 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकता है।	हाँ / नहीं
(ख)	गाँव में योजना के प्रचार-प्रसार की स्थिति	
(1)	पंचायत भवन पर योजना संबंधी जानकारी	हाँ / नहीं
(2)	गाँव की दीवारों पर नारे / पोस्टर इत्यादि	हाँ / नहीं
(3)	पंचायत द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु क्या कार्यवाही की? (विवरण दें)	.....
(xiii)	ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत पंचायत के रिकॉर्ड का निरीक्षण	
(1)	क्या समस्त रजिस्टर व रिकॉर्ड सही ढंग से संधारित किए जा रहे हैं?	हाँ / नहीं
(2)	क्या कार्य हेतु क्रय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज है व समस्त बिल / वाउचर उपलब्ध हैं?	हाँ / नहीं
(3)	कार्य हेतु कितने सीमेंट के बैग जारी किए गए, कितनों का उपयोग हुआ व शेष गोदान व कार्यस्थल पर उपलब्ध हैं? (निरीक्षण अधिकारी भौतिक सत्यापन अवश्य करें)	....
(4)	पंचायत का कार्यालय नियमित खुला रहता है व ग्राम सेवक/सहायक ग्राम सेवक इस योजना के अन्तर्गत कार्यों हेतु 10 बजे से 5 बजे तक उपलब्ध रहता है?	हाँ / नहीं
(5)	क्या भुगतान के पश्चात् मस्टररोल की फोटो प्रति पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जन निरीक्षण हेतु प्रदर्शित की जाती है?	हाँ / नहीं
(6)	क्या पंचायत की सतर्कता समिति की बैठक नियमित होती है? सतर्कता समिति में इस योजना संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं व उन पर क्या कार्रवाई हुई (विवरण दें)	....
(7)	क्या गाँव में इस योजना हेतु गठित सामाजिक ऑडिट फोरम सक्रिय है और कार्यों पर निगरानी रख रहा है? यदि नहीं तो क्यों? इसे सक्रिय करने हेतु और क्या करने की आवश्यकता है।	हाँ / नहीं ....

(xiv) योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने संबंधी पंचायत/ग्रामवासियों द्वारा यदि कोई सुझाव दिए गए हों? (विवरण दें) .....

(xv) निरीक्षण अधिकारी की सामान्य टिप्पणी

.....

.....

.....

हस्ताक्षर

नाम .....

उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करने की तिथि

पदनाम .....

(निरीक्षण के 2 दिन के अन्दर-अन्दर निरीक्षण प्रतिवेदन उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है।)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ1(72)06/विकास/प्रमुवसं/ 11969 दिनांक 12.12.2007

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के जरिये भारत सरकार ने गांवों में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिवस के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान किया है। रोजगार प्रदान करने में स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण को महत्व दिया गया है तथा जल संरक्षण एवं जल संग्रहण, सूखा निवारण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता में रखा गया है। इस तरह एक ओर इस अधिनियम से रोजगार प्रदान करने हेतु जनसशक्तिकरण होगा वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए प्रथम चरण में राज्य के 6 जिलों यथा झालावाड़, करौली, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू किया गया। द्वितीय चरण में टोंक, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना में तृतीय चरण में राज्य के सभी जिलों को शामिल किया जा सकता है। इस कार्यालय के समसंख्यक पृष्ठांकन क्रमांक 14198-215 दिनांक 31.1.2006 से सामान्य दिशा-निर्देश को यथावत रखते हुए, परिपत्र क्रमांक 14937-56 दिनांक 21.2.2006 द्वारा इस योजनान्तर्गत कार्य करवाए जाने हेतु जारी दिशा-निर्देश को इस परिपत्र द्वारा अधिलंघित किया जाता है। ग्राम पंचायतवार, पंचायत समितिवार तथा जिलेवार इस योजना के लिए पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किये जाने हैं, जो क्षेत्र की आवश्यकता एवं कार्य प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर संशोधित किये जा सकेंगे। विभाग द्वारा पांच वर्ष की अवधि में कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव प्राथमिकता क्रम में सम्मिलित कराने होंगे। इन प्राथमिकताओं के आधार पर वार्षिक कार्य योजना के प्रस्ताव तैयार किये जा सकेंगे। इस योजनान्तर्गत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित किए जा सकते हैं :-

1. पहाड़ी क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण कार्य यथा कन्टूर डाईक, ग्रेडोनी, कन्टूर ट्रेंच, बॉक्स ट्रेंच, वी-डिच आदि का निर्माण।
2. वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तेन्दू, सालहर, गुरजन (गोदल), कडाया, सफेद घोकड़ा आदि के वृक्षों के नीचे की ओर अर्द्ध चन्द्राकार ट्रेंच खोदकर रूट सकरस द्वारा पुनरुत्पादन करना।

3. ट्रेंचों के माउण्ड पर बीजारोपण (भराव क्षेत्र)
4. वन क्षेत्रों में नोचेज बनाकर रतनजोत, कुमठा एवं अन्य उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का बीजारोपण।
5. पुराने वृक्षारोपण क्षेत्रों में सुधार एवं संरक्षण कार्य व ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट।
6. प्राकृतिक पौधों के सहारे औषधीय / आर्थिक महत्व की बेलों का बीजारोपण/पौधारोपण। ट्रेंच पर रतनजोत, गुगल, आलोवेरा आदि का रोपण।
7. नये क्लोजर निर्माण एवं इनमें सुधार के कार्य।
8. ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से परिभ्रांषित वनों का रोपण।
9. पुराने क्लोजर्स में दीवारों की मरम्मत एवं क्लोजर्स सुधार के कार्य।
10. आबादी के नजदीक अतिक्रमण सम्भाव्य/अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में वन सीमा के साथ पक्की दीवार का निर्माण कार्य करवाया जावे तथा मैटीरियल कम्पोनेन्ट संबंधित योजनाओं से प्राप्त किया जावे। चूने के साथ भी दीवार निर्माण किया जा सकता है।
11. पुराने वृक्षारोपणों में शाख तरासी कर पौधों को वृक्षनुमा शक्ल देना, थांवला मरम्मत, खाला सफाई कर सिंचाई करना, मृत पौधों को बदलना आदि।
12. परिभ्रांषित क्षेत्र में वनारोपण के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कटबेक तथा कल्चरल ऑपरेशन्स विशेषकर बांस के पौधों का कल्चरल कार्य।
13. सैल्टर बेल्ट वृक्षारोपण कार्य। रिंग पीट में नीम, करंज, बड़, पीपल, गूलर लगाना।
14. विभागीय नर्सरियों में पौध तैयारी/सुधार के काम।
15. अस्थाई नर्सरियों का निर्माण एवं रखरखाव। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में 5 से 10 हजार पौधों की एक पौधशाला आवश्यक रूप से तैयार की जावे।
16. आवश्यकता के आकलन पश्चात् वन नाका, वन रक्षक चौकी, पशु रक्षक झोपड़ियों, वाच टॉवर, टांका निर्माण इत्यादि का निर्माण।
17. अग्निपट्टियों (Firelines) का निर्माण।
18. वन मार्गों का निर्माण एवं मरम्मत।
19. राज्य/विभागीय बायोफ्यूल नीति के अनुसार बॉयोफ्यूल वृक्षारोपण कार्य। पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में पेड़ों की पंक्तियों के बीच रतनजोत लगाकर इनका Value addition
20. ईको-ट्यूरिज्म नीतिन्तर्गत करवाये जाने वाले कार्य।
21. घास बीड़ों व वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में से अवांछित वनस्पति यथा प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा, लैनटैना कैमरा आदि का उन्मूलन कार्य।
22. सूखी गिरी पड़ी पेड़/लकड़ियों का संग्रहण कार्य।
23. घायल वन्य जीवों के लिये बचाव केन्द्र (Rescue centre) का निर्माण।
24. मरु क्षेत्रों में वन्य जीवों के पीने के पानी के लिये गजलर निर्माण।
25. वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा के कार्य।
26. मरु क्षेत्र में परिभ्रांषित चारागाह क्षेत्र का पुनर्विकास।
27. मरु प्रसार रोक योजना के अन्तर्गत करवाये गये वृक्षारोपण कार्यों में फैन्सिंग मरम्मत, थांवला मरम्मत कर पानी पिलाना, शाख तरासी कार्य।

28. मरु क्षेत्रों में निजी भूमि पर टिब्बा क्षेत्र में काश्तकारों को प्रेरित कर स्थानीय झाड़ कर वन विभाग की देखरेख में 5 मी. के अन्तराल पर खेजड़ी, बैर लगाकर काश्तकारों के साथ इकरारनामा निष्पादन कर उन्हें सौंपना।

29. काश्तकारों की रजामंदी से उनके खेत के चारों ओर खेजड़ी का बीजारोपण।

30. जहां संभव हो इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज-I क्षेत्र में विदोहन के पश्चात् पुनर्वृक्षारोपण कार्य।

31. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज II क्षेत्र में Interdunal areas में लगाये गये इजरायली बबूल (*Acacia tortalis*) के पौधे जो पाले से प्रभावित होकर नष्ट हो चुके हैं, वहां पर क्षेत्र को साफ कर खेजड़ी, बैर, रोहिड़ा लगाना, सिंचाई नाला साफ कर पानी पिलाना जिससे क्षेत्र में सुधार हो।

32. वन क्षेत्र के बाहर प्राकृतिक जल स्रोतों (जैसे कुएं, बावड़ी, पोखर, एनीकट आदि) को नाला आदि द्वारा जोड़कर, जल स्रोतों की सफाई कर पुनर्जीवित करना।

33. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य जो तकनीकी दृष्टि से उचित हों और इस योजना के सामान्य दिशा-निर्देश के अनुरूप हों।

उपरोक्त सूची में दिये गये कार्य मात्र Indicative हैं, Exhustive नहीं। क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के मद्देनजर ही कार्य प्रस्तावित किये जावें।

विभाग के सभी मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षक को इस योजना से प्राप्त अवसर का समुचित लाभ उठाना चाहिए तथा सभी वनकर्मियों का ध्यान भी इस योजना के विभिन्न पहलुओं की ओर दिलाया जाना चाहिए। जनसशक्तिकरण के इस महाअभियान में पूर्ण सहयोग प्रदान कर अधिक से अधिक जल संरक्षण, सूखा निवारण, वनारोपण, वृक्षारोपण एवं वन्य जीव संरक्षण के कार्यों को करवाया जाना चाहिए। कार्य को प्रारम्भ कराने से पूर्व यदि विभिन्न अधिनियमों/न्यायालयों के आदेशों के तहत अनुमति लेने की आवश्यकता हो तो सक्षम स्तर से पूर्वानुमति उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जावे। वनाधिकारीगण सकारात्मक सोच अपनाते हुए Innovative योजना बनावें तथा क्षेत्रों को चिन्हित कर Shelf of Projects तैयार रखें।

आगामी वर्ष के प्रारम्भ से राज्य सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त होते ही आप अधिक से अधिक कार्यों के प्रस्तावों की तकनीकी स्वीकृति जारी कर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित करें तथा इसे कार्यालय को अवगत करावें। जिला कलेक्टर द्वारा कार्यों की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ किया जावे एवं पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर निर्धारित प्रोफॉर्म में इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ1(72)06/पार्ट-3/आयो/प्रमुवसं/ 290-98 दिनांक 21.4.2008

विषय :- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रतिमाह पाक्षिक रिपोर्ट बाबत्।

सन्दर्भ : इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 9039-42 दिनांक 13.9.2007 एवं पत्रांक 13708-18 दिनांक 19.2.2008

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों से पूर्व में प्रेषित प्रपत्र को राज्य सरकार से प्राप्त पत्रानुसार संशोधित कर विस्तार किया गया है। अतः अब संलग्न 29 कॉलम प्रपत्र में मुख्यालय को हर माह की 3 व 18 तारीख तक पाक्षिक रिपोर्ट ई-मेल (csratnasamy@yahoo.com) या फैक्स (0141-2227832) द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि राज्य सरकार को उक्त रिपोर्ट समय पर प्रेषित की जा सके।

संलग्न : प्रपत्र

भवदीय,

हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक (आयोजना)
राजस्थान, जयपुर।

Forest Department
Progress Report of NREGS
Fortnight Period:

(Rs. In lacs)

S. No.	District	Division	No. of works/ proposals submitted		Number included in the plan	No. of works for which admn. Sanction issued	No. of Technical Sanction issued	No. for which Financial Sanction issued		No. of works started		No. of works on going		Total Works of District#	Forest dept. works % age of total works
			No.	Estimated Amount				No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

#Column 15 information to be collected from Collector

Forest Department
Progress Report of NREGS
Fortnight Period:

(Rs. In lacs)

S. No.	District	Division	Labour Strength	Last Payment		Mandays Generated					No. of works completed	No. of works stopped due to dispute/Non Availability of			
				Date	Amount	SC	ST	Other	Total	Female		Labour	Land	Other	Total
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29